रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 4, 1983/पौष 14, 1904

No. 4] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 4, 1983/PAUSA 14, 1904

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 1983

का०आ० 4(अ) : मुम्बई डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1981 का एक प्रारूप, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना सं० 3402 तारीख 22 नवम्बर, 1981 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 19 दिसम्बर, 1981 पृष्ठ 3877—3902 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो मास की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है

और उक्त राजपत्र 2 जनवरी, 1982 को जनता को उपलब्ध करा दिया गया था;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रारूप की बाबत प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुम्बई पत्तन के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :

(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम मुम्बई डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1983 है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. उद्देश्य और लागू होना :

(1) इस स्कीम के उद्देश्य डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकारों के नियोजन की अधिक नियमितता सुनिश्चित करना और डाक निकासी तथा अग्रेषण कर्म का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए डाक निकासी और अग्रेषण कर्म का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकारों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(2) यह स्कीम मुम्बई पत्तन से संबंधित है और अनुसूची 1 में यथा वर्णित मुम्बई डाक में निकासी के लिए

आयात तथा निर्यात किए जाने वाले माल की लदाई, उतराई, परिवहन में लगे सभी कर्मकारों को लागू होती है, अर्थात् :—

(क) ऐसे कर्मकार जो—

(i) रूई की गांठों और प्रति स्थोरा थैला 80 किलो और उससे अधिक

(ii) बन्दरगाहों पर उतारे गए और ले जाए गए स्थोरा

(iii) अस्थियों और चर्म

(iv) आयातित खुला स्थोरा की लदाई और उतराई संक्रियाओं में लगे हुए है ।

(ख) डाक द्वारों के बाहर स्थोरा का परिवहन करने वाले हाथ ठेला चालक

(3) यह स्कीम खंड 3 में यथापरिभाषित रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों और रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को लागू होगी।

(4) इस स्कीम की कोई बात भारतीय नौसेना डाकयार्ड, मुम्बई के किसी वर्ग या वर्णन के डाक कर्म और डाक कर्मकारों को लागू नहीं होगी।

3. परिभाषाएं :

इस स्कीम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) "अधिनियम" से डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रशासनिक निकाय" से खंड 4 के अधीन नियुक्त प्रशासनिक निकाय अभिप्रेत है;

(ग) "बोर्ड" से अधिनियम, के अधीन गठित मुम्बई डाक श्रम बोर्ड अभिप्रेत है;

(घ) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ङ) "उपाध्यक्ष" से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है;

(च) "दैनिक कर्मकार" से कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अभिप्रेत है जो मासिक कर्मकार नहीं है;

(छ) "डाक नियोजन" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई डाक कर्मकार नियोजित किया जाता है या किया जाना है और इसके अन्तर्गत खंड 15(1)(घ) के अधीन बनाया गया डाक नियोजकों का समूह भी है;

(ज) "डाक कर्म" से स्कीम से संबंधित स्थानों और परिसरों में, उन वर्गों या वर्णनों के डाक कर्मकारों द्वारा, जिन्हें स्कीम लागू होती है, सामान्यतः की जाने वाली संक्रियाएं अभिप्रेत है;

(झ) "नियोजक रजिस्टर" से स्कीम के अधीन रखा गया डाक नियोजकों का रजिस्टर अभिप्रेत है;

(ञ) "श्रम अधिकारी" से प्रशासनिक निकाय द्वारा खंड 12 के अधीन नियुक्त श्रम अधिकारी अभिप्रेत है;

(ट) "मासिक कर्मकार" से वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार अभिप्रेत है जो किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या ऐसे नियोजकों के समूह द्वारा ऐसी संविदा के अधीन मासिक आधार पर नियोजित किया जाता है जिसके पर्यवसान के लिए किसी भी पक्ष से कम से कम एक मास की सूचना अपेक्षित है;

(ठ) "कार्मिक अधिकारी" से बोर्ड द्वारा खंड 5 के अधीन नियुक्त कार्मिक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) "पूल" से ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का कोई पूल अभिप्रेत है जो कार्य के लिए उपलब्ध है और जो तत्समय मासिक कर्मकारों के रूप में किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या डाक नियोजकों के समूह के नियोजन में नहीं है;

(ढ) "रजिस्टर या अभिलेख" से स्कीम के अधीन रखा गया डाक कर्मकारों का रजिस्टर या अभिलेख अभिप्रेत है ;

(ण) "रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार" से वह रजिस्ट्रीकृत डाक निकासी और अग्रेषण अभिप्रेत है जिसका नाम इस स्कीम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट डाक कर्म करने के लिए रजिस्टर या अभिलेख में तत्समय प्रविष्ट है;

(त) "रजिस्ट्रीकृत नियोजक" से वह निकासी और अग्रेषण नियोजक अभिप्रेत है जिसका नाम नियोजकों के रजिस्टर में तत्समय प्रविष्ट है और जो सीमा शुल्क कलक्टर से प्राप्त अनुज्ञप्ति रखता है जब तक कि खंड 15 के उपखंड (ग) के अनुसार उसे बोर्ड द्वारा इस प्रकार छूट नहीं दे दी गई है;

(थ) "नियम" से डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 अभिप्रेत है;

(द) "सप्ताह" से शनिवार की मध्यरात्रि से प्रारम्भ होने वाली और उत्तरवर्ती शनिवार की मध्यरात्रि को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;

4. "प्रशासनिक निकाय —

(1) केन्द्रीय सरकार इस स्कीम का दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ऐसे निकाय जिसमें डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकारों के नियोजक या कोई प्राधिकारी होगा, नियुक्त कर सकेगी।

(2) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड और अध्यक्ष के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए तथा खंड 43 के उपबंधों के अधीन रहते हुए दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपखंड (1) के अधीन नियुक्त किसी प्रशासनिक निकाय को किसी पर्याप्त कारण से हटा सकेगी

परन्तु किसी प्रशासनिक निकाय को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया गया है।

5. कार्मिक अधिकारी और बोर्ड के अन्य सेवक : अध्यक्ष एक कार्मिक अधिकारी और ऐसे अन्य अधिकारियों और सेवकों को नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे वेतन तथा भत्तों का संदाय कर सकेगा और सेवा के ऐसे निबन्धन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो वह उचित समझे ;

परन्तु किसी ऐसे पद का सृजन नहीं किया जाएगा जिसका भत्तों को छोड़ कर वेतन 1650 रुपए प्रतिमास और उससे अधिक है और न ही ऐसे पद पर कोई नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना की जाएगी;

परन्तु यह और कि तीन मास से अधिक अवधि की छुट्टी के कारण हुई रिक्ति में की जाने वाली नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं होगी।

6. बोर्ड के कृत्य :

(1) बोर्ड, खंड 2 में उपवर्णित स्कीम के उद्देश्यों को को अग्रसर करने की दृष्टि से ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह वांछनीय समझे, जिनके अन्तर्गत :—

(क) पत्तन से माल के शीघ्र अभिवहन को सुकर बनाने के प्रयोजन के लिए डाक श्रमिकों का पर्याप्त प्रदाय और उनका पूर्ण तथा समुचित उपयोग सुनिश्चित करने;

(ख) डाक कर्मकारों की भर्ती और स्कीम में उनके प्रवेश तथा सेवोन्मुक्ति को विनियमित करने और पूल में रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को आबंटन करने,

(ग) प्रशासनिक निकाय से परामर्श करके समय-समय पर रजिस्टरों में रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों या अभिलेखों का अवधारण और पुनर्विलोकन करने और किसी ऐसे रजिस्टर या अभिलेख में संख्या में वृद्धि करने या कमी करने;

(घ) नियोजक रजिस्टरों को रखने, उनका समायोजन करने और बनाए रखने के उनमें किसी डाक नियोजक का नाम प्रविष्ट करने या पुनः प्रविष्ट करने और जहां परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो वहां, किसी भी रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम रजिस्टर से या तो स्वयं उसके अनुरोध पर या स्कीम के उपबंधों के अनुसार हटाने;

(ङ) समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के ऐसे रजिस्टर या अभिलेख जो आवश्यक हो, जिनके अन्तर्गत ऐसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के रजिस्टर या अभिलेख भी है, जो डाक कर्म के लिए अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है और जिनका अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, रखने, समायोजित करने और बनाए रखने के तथा जहां परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो वहाँ किसी भी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नाम या तो स्वयं उसके अनुरोध पर या स्कीम के उपबंधों के अनुसार किसी रजिस्टर या अभिलेख से हटाने;

(च) सभी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का ऐसे समूहों में, जो प्रशासनिक निकाय से परामर्श करने के पश्चात बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं, समूहीकरण और प्रशासनिक निकाय परामर्श करने के डाक कर्मकार के आवेदन पर किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के समूहीकरण का पुनर्विलोकन करने;

(छ) जहां तक कि ऐसा उपबंध स्कीम से अलग विद्यमान नहीं है, रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के प्रशिक्षण और कल्याण के लिए जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय सेवाएं भी हैं, उपबंध करना ;

(ज) स्कीम के व्यय के सम्बन्ध में रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से अभिदायों के उद्ग्रहण और उनकी वसूली करने;

(झ) जहां तक कि ऐसा उपबन्ध स्कीम से अलग विद्यमान नहीं है उन स्थानों में जहां रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार नियोजित है उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए उपबंध करने,

(ञ) डाक कर्मकार कल्याण निधि को बनाए रख; और उसका प्रबन्ध करने तथा सभी रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से डाक कर्मकार कल्याण निधि के लिए अभिदायों की वसूली करने ;

(ट) रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के लिए सृजित भविष्य निधि, उपदान निधि, स्वेच्छया सेवा-निवृत्ति निधि और किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए अन्य निधि या निधियों को बनाए रखने या उनका प्रबन्ध करने;

(ठ) धन उधार लेने या धन जुटाने और डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां पुरोधृत करने और किसी ऋण या बाध्यता की प्रतिभूत करने के प्रयोजन के लिए, बोर्ड की समस्त सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बंधक रखने या प्रभारित करने ;

के उपाय होंगे।

(2) बोर्ड की किसी भी स्रोत से होने वाली आय और उसकी सम्पत्ति का उपयोजन पूर्णतया स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जाएगा। उद्देश्यों के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के स्वास्थ्य सुरक्षा, प्रशिक्षण और कल्याण के उपाय भी है (जिनमें डाक कर्मकारों और बोर्ड के कर्मचारिवृन्द के अनन्य फायदे के लिए बनाई गई सहकारी सोसाइटियों को ऋण देने के रूप में या अन्यथा सहायता भी है) तथा उन आय और सम्पत्ति का कोई भी

भाग बोर्ड के सदस्यों को प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः लाभांश बोनस या अन्यथा फायदे के रूप में संदत्त या अन्तरित नहीं किया जाएगा,

परन्तु इस उपखण्ड की कोई भी बात बोर्ड के किसी अधिकारी या सेवक को बोर्ड के लिए वस्तुतः की गई किसी सेवा के लिए युक्तियुक्त और उचित पारिश्रमिक और खर्च के संदाय में नहीं रोकेगी, न ही किसी सदस्य द्वारा बोर्ड को उधार दिए गए धन पर उचित दर से ब्याज के या पट्टे पर या किराए पर दिए परिसरों के लिए उचित और पर्याप्त किराए के संदाय में रोकेगी और न बोर्ड के कर्मचारिवृन्द के लिए कल्याणकारी उपायों पर, यदि कोई हों, व्यय में ही रोकेगी।

(3) बोर्ड स्कीम के कार्यान्वयन संबंधी खर्च और सभी प्राप्तियों तथा व्यय के समुचित लेखे रखवाएगा।

(4) बोर्ड,

(i) प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिन के पश्चात यथाशक्य शीघ्र और इकत्तीस अक्तूबर के अपश्चात इकत्तीस मार्च को समाप्त होने वाले पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान स्कीम के कार्यकरण के बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट संपरीक्षित तुलनपत्र सहित; और

(ii) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाहियों की प्रतियां, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा।

7. अधिवेशनरत बोर्ड के उत्तरदायित्व और कर्तव्य :—अधिवेशनरत बोर्ड नीति सम्बन्धी सभी विषयों को निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और विशिष्टतया :

(क) किसी भी प्रवर्ग में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विनिर्दिष्ट संख्या तक कर्मकारों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी दे सकेगा ;

(ख) अध्यक्ष की सिफारिश पर नए नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण पर विचार कर सकेगा;

(ग) ऐसे प्ररूप अभिलेख, रजिस्टर, विवरण आदि विहित कर सकेगा जिनका रखा जाना स्कीम के अधीन अपेक्षित हो।

(घ) मजदूरी, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें अवधारित कर सकेगा तथा वार्षिक पुनर्विलोकन के पश्चात किसी भी मास के लिए प्रत्यावर्तन न्यूनतम मजदूरी पुनर्नियत कर सकेगा।

(ङ) खण्ड 51 (1) के अधीन उद्ग्रहण की दर नियत कर सकेगा;

(च) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा डाक कर्मकार कल्याण निधि में किए जाने वाले अभिदाय की दर नियत कर सकेगा;

(छ) खण्ड 35 के अधीन समितियां नियुक्त, उत्सादित या पुनर्गठित कर सकेगा

(ज) वार्षिक बजट मंजूर कर सकेगा :

(झ) कार्मिक अधिकारी नियुक्त कर सकेगा ;

(ञ) खण्ड 5 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए पदों के सृजन की मंजूरी दे सकेगा;

(ट) इस स्कीम की अनुसूची 1 में परिवर्तनों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें कर सकेगा;

(ठ) स्कीम में किन्हीं उपान्तरों के बारे में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें कर सकेगा;

(ड) उन विवादों को तय करने का प्रयास कर सकेगा जिनकी बाबत संबंधित पक्षकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार को न्याय-निर्णयन के लिए निवेदन किया गया है और ऐसे प्रयासों के परिणामों की रिपोर्ट सरकार को कर सकेगा;

(ढ) श्रमिकों के काम की मात्रा और अपनी टीका-टिप्पणियां और निदेश अभिलिखित कर सकेगा;

(ण) ऐसे अनुसूचित बैंकों में, जिन्हें वह निर्दिष्ट करे, खाते खोलने की और ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें बोर्ड समय-समय पर निर्दिष्ट करे, ऐसे खातों को चालू रखने की मंजूरी दे सकेगा; और

(त) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निधि या निधियों की मंजूरी दे सकेगा और उन्हें सृजित कर सकेगा।

8. वार्षिक प्राक्कलन :—अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष फरवरी के अन्त के पूर्व किए जाने वाले विशेष अधिवेशन में, इस स्कीम के खण्ड 11(झ) के अधीन आगामी अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए, प्रशासनिक निकाय, से यथा प्राप्त वार्षिक बजट को ऐसे ब्यौरों सहित और ऐसे प्ररूप में जो बोर्ड समय-समय पर विहित करे, बोर्ड के समक्ष रखेगा। बोर्ड इस प्रकार उसे प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन पर विचार करेगा, और उसके प्रस्तुत किए जाने के चार सप्ताह के भीतर उसे या तो अपरिवर्तित ही या ऐसे परिवर्तनों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, मंजूर करेगा।

9. अध्यक्ष के उत्तरदायित्व और कर्तव्य :— (1) अध्यक्ष को स्कीम के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से संबंधित सभी विषयों तथा विशिष्टतया निम्नलिखित के संबंध में कार्यवाही करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक और कार्यपालिक शक्तियां होंगी, अर्थात् :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकार रजिस्टरों के समायोजन की बाबत बोर्ड के विनिश्चयों को तत्परतापूर्वक कार्यान्वित किया जाता है ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारों के अस्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए मंजूरी को बिना किसी विलंब के कार्यान्वित किया जाता है ;

(ग) (i) प्रशासनिक निकाय के कार्य का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना;

(ii) यदि उसे किन्हीं अनियमितताओं का पता चले या उस की जानकारी में लाई जाए तो यथोचित कदम उठाना,

(घ) यह सुनिश्चित करना कि कर्मकारों के स्थानान्तरण और उनकी प्रोन्नति के बारे में स्कीम के उपबन्धों को, कार्यान्वित किया जाता है ;

(ङ) जब अपेक्षित हो चिकित्सा बोर्डों का गठन करना,

(च) यह सुनिश्चित करना कि नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्कीम में अधिकथित शर्तों का पालन नियोजकों द्वारा किया जाता है ;

(छ) यह सुनिश्चित करना कि स्कीम के अधीन विहित सभी प्ररूप रजिस्टर, विवरणियां और दस्तावेज उचित रूप में बनाए रखे जाते हैं ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि श्रमिकों के काम की मात्रा और पोतों के आवागमन के बारे में यथोचित आकड़े संकलित किए जाते हैं और समुचित टिप्पणियों और स्पष्टीकरणों सहित प्रत्येक तिमाही बोर्ड के समक्ष पेश किए जाते है ;

(झ) (i) ऐसे पदों के सृजन की मंजूरी देना जिनका भत्तों को छोड़कर अधिकतम वेतन एक हजार छह सौ पचास रुपए प्रतिमास तक है;

(ii) ऐसे पदों पर नियुक्तियां करना जिसका अधिकतम वेतन भत्तों को छोड़कर एक हजार छह सौ पचास रुपए प्रतिमास है;

(ञ) इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार कर्मकारों और नियोजकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करना;

(ट) प्रति कर्मकार प्रति सप्ताह या प्रतिमाह पारियों की अधिक संख्या का शिथिलीकरण अनुज्ञात करना और बोर्ड को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना;

(ठ) इस बात की घोषणा करना कि धीरे काम करो नीति अपनाई गई है और स्कीम के अधीन प्राधिकृत रूप से कार्यवाही करना;

(ड) "आपातकालीन स्थिति" घोषित करना और स्कीम के अधीन प्राधिकृत रूप से कार्यवाही करना;

(ढ) जब आवश्यक हो केन्द्रीय सरकार को डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 5 के अधीन रिपोर्ट करना;

(ण) जैसा कि स्कीम में उपबन्धित है, नियोजक या कर्मकार के अनुरोध पर, किसी मासिक कर्मकार के रिजर्व पूल में स्थानान्तरण की मंजूरी देना;

(त) खण्ड 46 और 47 के अधीन कर्मकारों और नियोजकों की अपीलों पर कार्यवाही करना;

(थ) उपाध्यक्ष पद की एक मास से कम की अवधि के लिए अप्रत्याशित रिक्ति को भरना और उसके अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को ऐसे मामले की रिपोर्ट करना; और

(द) विभिन्न प्रवर्गों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने की संख्या नियत करना;

(ध) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, रजिस्टर और प्रत्याशित रिक्तियों के आवधिक पुनर्विलोकन के पश्चात् समय-समय पर, जैसा आवश्यक हो, रजिस्टर में दर्ज किसी प्रवर्ग के कर्मकारों की संख्या बढ़ाना या घटाना;

(न) अनुशासनिक कार्यवाहियों के कारण किसी नियोजक को निलम्बित किए जाने या हटाए जाने पर, यदि आवश्यक पाया जाए तो नए नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण पर विचार करना; और

(प) उन सभी अन्य कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना जो स्कीम के अधीन अध्यक्ष में विनिर्दिष्टतः निहित है ।

(2) अध्यक्ष उपखण्ड (1) के अधीन कृत्यों में से उन कृत्यों के सिवाय जो मद झ (i), झ(ii), (ठ), (ड), (ढ), (त), (थ), (द), (ध) (न) और (प) में वर्णित हैं, किन्ही कृत्यों को उपाध्यक्ष को लिखित रूप में प्रत्यायोजित कर सकेगा । किन्तु ऐसा प्रत्यायोजन अध्यक्ष को उसकी शक्तियों में विनिहित नहीं करेगा ।

10. उपाध्यक्ष के उत्तरादायित्व और कर्तव्य :—उपाध्यक्ष बोर्ड का पूर्ण कालिक अधिकारी होगा और अध्यक्ष की उसके कृत्यों के निर्वहन मे सहायता करेगा तथा विशिष्टता :—

(क) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और डाक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संबंधी ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो खण्ड 43 के अधीन अनुज्ञात है;

(ख) ऐसे अन्य कृत्य करेगा जो उस अध्यक्ष द्वारा लिखित में प्रत्यायोजित किए जाते हैं;

(ग) बोर्ड की उस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

जिसमें वह सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाए;

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बोर्ड के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा ; और

(ङ) उन पदों पर नियुक्तियां करेगा जिनका भत्तों को छोड़कर अधिकतम वेतन एक हजार दो सौ पचास रुपये प्रतिमास से अधिक नहीं है ।

11. प्रशासनिक निकाय के कृत्य बोर्ड अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियों और कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रशासनिक निकाय इस स्कीम के प्रशासन के लिए

उत्तरदायी होगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा—

(क) नियोजक-रजिस्टर रखना, समायोजित करना और बनाए रखना, किसी डाक नियोजक के नाम की उनमें प्रविष्टि या पुनः प्रविष्टि करना और जहां परिस्थितियों से ऐसा अपेक्षित हो, किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम, या तो उसके अपने अनुरोध पर या स्कीम के उपबन्धों के अनुसार उस रजिस्टर से हटाना;

(ख) डाक कर्मकारों के ऐसे रजिस्टर या अभिलेख जो आवश्यक हों जिनके अन्तर्गत उन डाक कर्मकारों के रजिस्टर या अभिलेख भी है जो डाक कर्म के लिए अस्थायी तौर पर उपलभ्य नहीं है और जिनकी अनुपस्थिति प्रशासनिक निकाय द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है, समय समय पर रखना, समायोजित करना और बनाए रखना तथा, जहां परिस्थितियों से ऐसे अपेक्षित हो, किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नाम या तो उसके अपने अनुरोध पर या स्कीम के उपबन्धों के अनुसार किसी रजिस्टर या अभिलेख से हटाना;

(ग) जब काम के लिए उपलभ्य रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार स्कीम के अनुसार अन्यथा नियोजित नहीं है तब उनका नियोजन और नियंत्रण करना;

(घ) बोर्ड से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का ऐसे समूहों में, जो बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं समूहीकरण या पुनर्समूहीकरण करना;

(ङ) काम के लिए उपलभ्य पूलगत-रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को आबंटन और इस प्रयोजन के लिए प्रशासनिक निकाय —

(i) नियोजक के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता हुआ समझा जाएगा,

(ii) पूलगत-रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का पूर्णतः संभव उपयोग करेगा,

(iii) हाजिरी केन्द्रों और नियंत्रण बिन्दुओं पर रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की हाजिरी का अभिलेख रखेगा,

(iv) नियोजन और उपार्जन के अभिलेखों को रखने की व्यवस्था करेगा।

(v) खण्ड 29 (3) के अधीन चक्रानुक्रम से काम के आबंटन के अधीन रहते हुए खण्ड 19 के अनुसार कर्मकारों का आबंटन करेगा, और

(vi) जैसा कि खण्ड 27 में अधिकथित है, रिजर्व पूलगत कर्मकारों के हाजिरी कार्डों और मजदूरी पर्चियों में आवश्यक प्रविष्टियां करेगा;

(च) (i) उस उद्ग्रहण, डाक कर्मकार कल्याण-निधि के अभिदाय या किसी अन्य अभिदाय का जो स्कीम के अधीन विहित किया जाए, नियोजकों से संग्रहण,

(ii) भविष्य निधि, बीमा निधि या किसी अन्य ऐसी निधि में जो स्कीम के अधीन स्थापित की जाए, कर्मकारों के अभिदाय का संग्रहण;

(iii) रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अभिकर्ता के रूप में, प्रत्येक दैनिक कर्मकार को नियोजक द्वारा उचित रूप में देय कुल उपार्जनों का संदाय और उन कर्मकारों को बोर्ड द्वारा इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार संदेय सभी रकमों का संदाय

(छ) बजट उपबंधों के अधीन रहते हुए अधिकारियों और सेवकों का समय समय पर, जो आवश्यक हों, नियुक्त करना:

परन्तु ऐसे पदों का सृजन, जिनका भत्तों को छोड़कर अधिकतम वेतन 1150 रुपये से अधिक है और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति खण्ड 6(i) और 9(ज)(i) के अधीन रहते हुए की जाएगी।

(ज) स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्च और उसके अधीन सभी प्राप्तियों और व्यय के उचित लेखे रखना तथा वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित तुलनपत्र तैयार करना और उन्हें बोर्ड को पेश करना;

(झ) प्रतिवर्ष बजट बनाना, प्रत्येक वर्ष फरवरी के पन्द्रहवें दिन या उससे पहले उसे बोर्ड को पेश करना और बोर्ड से उसे अनुमोदित कराना;

(ञ) सभी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के सेवा अभिलेख रखना, और

(ट) ऐसे अन्य कृत्य जो, इस स्कीम के उपबन्धों के अधीन बोर्ड, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष समय-समय पर उसे सौंपे जाएं।

12. श्रम अधिकारी—प्रशासनिक निकाय, उस दशा में जब उसमें डाक कर्मकारों के नियोजक हों, बोर्ड के अनुमोदन से एक श्रम अधिकारी या श्रम अधिकारियों की नियुक्ति करेगा। श्रम अधिकारी, प्रशासनिक निकाय के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन, ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे उस निकाय द्वारा सौंपे जाएं और जो स्कीम के उपबन्धों से संगत हों।

13. कार्मिक अधिकारी के कृत्य—कार्मिक अधिकारी साधारणतया उपाध्यक्ष की, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में, सहायता करेगा और विशिष्टितया खंड 43 के अधीन उसमें निहित कृत्यों का पालन करेगा।

14. स्कीम के समुचित कार्यकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी (1) खंड 4, 5, 11 और 13 के उपबन्धों के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करके, स्वविवेकानुसार एक या अधिक अधिकारी समय-समय पर नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी या अधिकारियों को ऐसे कृत्य सौंप सकेगी जो वह स्कीम के समुचित कार्यकरण के लिए ठीक समझे।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त ऐसा या ऐसे अधिकारी अध्यक्ष के साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होगा/होंगे और उसे/उन्हें बोर्ड की निधि से संदाय किया जाएगा। ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारी ऐसी अवधि पर्यन्त और ऐसे निबन्धों और शर्तों पर पद धारण करेगा/करेंगे जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे।

15. रजिस्टरों आदि का बनाए रखा जाना (1) नियोजक-रजिस्टर (क) नियोजकों का एक रजिस्टर होगा।

(ख) जहां तक इस स्कीम का निकासी और अग्रेषण कर्मकारों को लागू होने का संबंध है, ऐसा नियोजक जो स्कीम के प्रारंभ की तारीख को मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 के अधीन सूचीबद्ध है, और जिसके पास सीमा शुल्क कलक्टर द्वारा उस तारीख को जारी की गई सीमाशुल्क गृह अभिकर्ता अनुज्ञप्ति हो, उसे इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझा जाएगा।

(ग) मद (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत समझे गए व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों को तब तक नियोजकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि बोर्ड ऐसा करना समीचीन और आवश्यक न समझे।

(घ) बोर्ड, ऐसी शर्तों के अधीन जिन्हें वह केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, मद (ख) और (ग) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को एक या अधिक समूह बनाने की अनुज्ञा दे सकेगा और इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक समूह, मासिक कर्मकारों के नियोजन के लिए एक ही नियोजक माना जाएगा;

परन्तु बोर्ड को केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिर्दिष्ट शर्तों में ऐसे परिवर्तन या उपान्तर करने की शक्ति होगी जिन्हें वह समय-समय पर आवश्यक समझे

परन्तु यह और कि बोर्ड नियोजकों के किसी समूह को दी गई अनुज्ञा उस तारीख से जो वह विनिर्दिष्ट करे प्रतिसंहृत कर सकेगा यदि नियोजकों के समूह को उस प्रस्थापना के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पश्चात् और उसके अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार करने के पश्चात् बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि नियोजकों का समूह बनाने के लिए विनिर्दिष्ट शर्तों के पालन में नियोजकों का समूह भागतः या पूर्णतः असफल रहा है और तदुपरि उक्त समूह ऐसी तारीख से विघटित हो जाएगा।

(2) कर्मकार-रजिस्टर—;

कर्मकारों के रजिस्टर यथा निम्नलिखित होंगे :—

(1) मासिक रजिस्टर— ऐसे कर्मकारों का रजिस्टर जो प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा मासिक आधार पर ठेके पर नियोजित किये जाते हैं और जो मासिक कर्मकारों के रूप में जाने जाते हैं;

(2) पूल रजिस्टर; उन मासिक रजिस्टरगत कर्मकारों से भिन्न कर्मकारों का रजिस्टर जो पूलगत कर्मकारों के रूप मे जाने जाते है।

16. रजिस्टरगत कर्मकारों का वर्गीकरण—(1)—बोर्ड रजिस्टरगत कर्मकारों के प्रवर्गानुसार वर्गीकरण की व्यवस्था करेगा।

(2) स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे :—

(क) मुकद्दम

(ख) निकासी और अग्रेषण मजदूर।

(3) (क) अध्यक्ष को किसी प्रवर्ग के अधिशेष कर्मकारों को किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन जिसमें कर्मकारों की कमी हो मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956 या मुम्बई खाद्यान्न उठाई-धराई कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 के अन्तर्गत आने वाले कर्मकार प्रवर्गों में से किसी के अधीन इस शर्त के अधीन रहते हुए, अभिनियोजित करने की शक्ति होगी कि ऐसे अभिनियोजन से पूर्व सेवा से प्राप्त मजदूरी में कमी या प्रसुविधा का नुकसान न हो।

टिप्पण : यदि ऐसे प्रवर्ग या स्कीम जिसमें कमी है निम्नतर मजदूरी या प्रसुविधा वाला है तो अन्तरण ज्येष्ठता के आधार पर होगा, कनिष्ठतम व्यक्तियों को अन्तरित किया जाएगा और उनके द्वारा उपयुक्त मजदूरियों और प्रसुविधाओं को इस प्रकार संरक्षित किया जाएगा मानो वे उनकी व्यक्तिगत मजदूरी और प्रसुविधाएं है।

(ख) अध्यक्ष को बोर्ड के अनुमोदन से इस स्कीम में किसी अधिशेष कर्मकार को मुम्बई पत्तन न्यास के अधीन नियोजित समुद्र तट कर्मकारों के सुसंगत प्रवर्गों के जिसमें कमी है, कृत्यों का पालन करने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए अभिनियोजित करने की शक्ति होगी कि ऐसे अभिनियोजन से पूर्व सेवा से प्राप्त मजदूरी में कमी न हो या प्रसुविधा का नुकसान नहीं हो।

17. रजिस्टरगत कर्मकारों की संख्या का नियतन–

(1) (क) अध्यक्ष, प्रशासनिक निकाय से परामर्श और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, किसी प्रवर्ग में रजिस्ट्रीकरण करने से पूर्व उस प्रवर्ग में कर्मकारों की अपेक्षित संख्या अवधारित करेगा ।

(ख) अध्यक्ष प्रत्येक प्रवर्ग में अपेक्षित कर्मकारों की संख्या का आवधिक पुनर्विलोकन करेगा और ऐसी संख्या का समायोजन करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से समुचित कार्रवाई करेगा।

(2) अध्यक्ष प्रशासनिक निकाय से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित कर्मकारों की संख्या कालिक रूप से अवधारित करेगा और तदनुसार कर्मकारों के रजिस्टरों का समायोजन करने की व्यवस्था करेगा ।

(3) कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों का समूह ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, पूल से कर्मकारों का चयन करके मासिक रजिस्टरगत कर्मकारों की संख्या बढ़ा सकेगा ।

18. विद्यमान और नए कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण–

(1) (क) कोई डाक कर्मकार, जो स्कीम के प्रारम्भ की तारीख को, मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डाक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 के अधीन पहले से ही सूचीबद्ध है इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा :—

(ख) नए रजिस्ट्रीकरण के लिए अर्हता वह होगी जो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी केवल भारतीय राष्ट्रिक हो, जो शारीरिक रूप से स्वस्थ, समर्थ हों और अनुभव रखते हों, रजिस्ट्रीकरण के पात्र होंगे ।

परन्तु भूतपूर्व सैनिक कार्मिकों के मामले में आयु सीमा डाक श्रम बोर्ड द्वारा शिथिल करके 45 वर्ष की जा सकेगी ।

(2) बोर्ड, ऐसी अवधि के लिए और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे कर्मकारों के अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकरण की समय-समय पर अनुज्ञा दे सकेगा ।

परन्तु अस्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत कर्मकार खंड 31 के अधीन उपस्थिति भत्ते के हकदार होंगे और उनकी वही बाध्यताएं होंगी जो पत्तन रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की है।

(3) ऐसे किसी भी प्रवर्ग में जिसमें डाक कर्मकार पहले से ही स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जा चुके है कोई भी नई भर्ती चाहे वह अस्थाई आधार पर हो या स्थायी आधार पर स्थानीय रोजगार कार्यालय से रजस्ट्रीकृत कर्मकारों में से ही जाएगी । फिर भी, यदि मुम्बई पत्तन न्यास के द्वारा नियोजित कर्मकारों के किसी वर्ग में अधिशेष रहता है तो ऐसे अधिशेष कर्मकारों को अन्तरित किया जा सकेगा और इस स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा । यदि अन्तरण के पश्चात् अध्यपेक्षा किए जाने के दिन रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में उपलब्ध उपयुक्त व्यक्तियों की संख्या से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है तो रोजगार कार्यालय से उपयुक्त व्यक्तियों को आमंत्रित करने के पश्चात् ही सीधी भर्ती की जा सकेगी ।

(4) उपखंड (1) की मद (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नए कर्मकार रजिस्टरों में स्थायी आधार पर दर्ज किए जाने से पूर्व एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे

(5) इस स्कीम के किसी अन्य उपबन्ध के होते हुए भी जहां बोर्ड की यह राय है कि किसी डाक कर्मकार ने अपने आवेदन में मिथ्या जानकारी देकर या उसमें अपेक्षित कोई जानकारी न देकर रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर लिया है या जहां यह प्रतीत होता है कि कोई कर्मकार अनुचित या गलत रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां अधिवेशनरत बोर्ड उसका नाम रजिस्टरों से हटाए जाने का निदेश दे सकेगा :

परन्तु बोर्ड ऐसा कोई निदेश देने से पूर्व उसे यह हेतुक दर्शित करने का अवसर देगा कि प्रस्थापित निदेश क्यों न जारी किया जाए ।

(6) उन अन्य प्रवर्गों के रजिस्ट्रीकरण के बारे में जो स्कीम के प्रारम्भ के पश्चात् अनुसूची I में सम्मिलित किए जाए निम्नलिखित सिद्धान्त लागू होंगे, अर्थात् :—

(क) पूर्वानुमानित आवश्यकताओं के आधार पर अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा और केवल यह तथ्य कि कोई कर्मकार पहले से ही पत्तन में काम कर रहा है, उसे ही रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं बनाएगा ,

(ख) अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण पूरा हो जाने के पश्चात् उस प्रक्रम पर स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को प्रोद्भूत मजदूरी से भिन्न कोई वित्तीय फायदा अनुज्ञात किए बिना चक्रानुक्रम से बुकिंग प्रारम्भ कर दी जाएगी ।

(ग) आवश्यकता का पुनर्निर्धारण, अनन्तिम रूप से रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों द्वारा प्राप्त वास्तविक नियोजन को दृष्टि में रखते हुए छह मास के पश्चात किया जाएगा और तब अनन्तिम रजिस्ट्रीकरण का तदनुसार समायोजन किया जाएगा। खंड 31 के अधीन उपस्थिति भत्ते का संदाय केवल उस समय से प्रारम्भ होगा ।

(घ) इन शर्तों के अधीन कार्यकरण की परीक्षा, चक्रानुक्रमी बुकिंग के प्रारम्भ के एक वर्ष पश्चात् उन दिनों की संख्या नियत करने के विचार से की जाएगी जिनके लिए खण्ड 30 के अधीन प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरी दी जानी चाहिए। तब से आगे के लिए कर्मकार स्कीम के अधीन सभी फायदों के हकदार होंगे।

(ङ) किसी एक मास में उन दिनों की न्यूनतम संख्या के लिए जिनके लिए पहले रजिस्ट्रीकृत प्रवर्गों के कर्मकारों के लिए खण्ड 30 के अधीन मजदूरी प्रत्याभूत की गई है, उन प्रवर्गों के कर्मकारों द्वारा स्वतः दावा नहीं किया जाएगा जो स्कीम के प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किए जाते हैं।

उपर्युक्त मद (घ) में यथा अवधारित ऐसे दिनों की न्यूनतम संख्या भिन्न भिन्न प्रवर्गों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेगी

(च) स्कीम के प्रवर्तन के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किए जाने वाले प्रवर्गों के कर्मकारों की मजदूरी वह होगी, जो बोर्ड द्वारा समय समय पर नियत की जाए।

19. कर्मकारों की निवर्तन आयु, प्रोन्नति और अन्तरण.

(1) स्कीम के अधीन किसी कर्मकार की निवर्तन आयु 58 वर्ष होगी।

(2) मासिक कर्मकारों के प्रवर्गों में आकस्मिक रिक्ति से भिन्न कोई रिक्ति केवल पूल में से उसी प्रवर्ग के किसी ऐसे डाक कर्मकार की प्रोन्नति और अन्तरण द्वारा भरी जाएगी, जिसका चयन रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—प्रोन्नति की कसौटी सामान्यतः निम्नलिखित होगी :—

(क) ज्येष्ठता।

(ख) जिस प्रवर्ग में प्रोन्नति की जानी है उसमें काम के लिए गुण और योग्यता, और

(ग) पिछली सेवाओं का अभिलेख।

टिप्पण— उसी प्रवर्ग में पूल रजिस्टर से मासिक रजिस्टर में या विपरीत ढंग से स्थानान्तरण प्रोन्नति नहीं समझा जाएगा।

(3) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, पर्याप्त और विधिमान्य कारणों से, यथास्थिति, नियोजक या कर्मकार के लिखित अनुरोध पर किसी मासिक कर्मकार का पूल में अन्तरण, ऐसे स्थानान्तरण के कारणों को पूर्णतया स्पष्ट करते हुए, अनुज्ञात कर सकेगा। परन्तु किसी मासिक कर्मकार का पूल में ऐसे स्थानान्तरण इस बात के अधीन रहते हुए होगा कि मासिक कर्मकार और उसके नियोजक के बीच नियोजन की समाप्ति की बाबत अस्तित्वशील संविदा का पालन हो गया हो। कोई भी अन्तरण अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(4) यदि कोई मासिक कर्मकार, उपखण्ड (3) के अधीन पूल में अन्तरित या नियोजित किया जाता है तो, उसकी पूर्व सेवाओं की गणना पूल के सभी फायदों के लिए की जाएगी और नियोजक कर्मकार को पूर्व सेवा के संबंध में उसे आदत्त सभी फायदों बोर्ड को ऐसे अन्तरित करेगा मानो उस सेवा का अन्तरण ही नहीं किया गया था। नियोजक, विशेष रूप से कोई ऐसी रकम का अभिदाय करेगा जो कर्मकार को उस छुट्टी, भविष्य निधि और उपदान की बाबत ऐसे अन्तरण की तारीख को शोध्य हो।

20. स्वास्थ्य परीक्षा:—(1) रजिस्ट्रीकरण से पूर्व नए कर्मकार की शारीरिक योग्यता की जांच के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट एक चिकित्सक अधिकारी द्वारा की जाएगी। वह कर्मकार, जिसे चिकित्सक अधिकारी स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाए, चिकित्सा बोर्ड द्वारा परीक्षा के लिए अध्यक्ष को लिखित आवेदन कर सकेगा। चिकित्सा बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा और वह कर्मकार जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य है रजिस्ट्रीकरण का हकदार नहीं होगा।

(2) यदि प्रशासनिक निकाय ऐसा आवश्यक समझे तो कर्मकार की स्वास्थ्य परीक्षा अध्यक्ष द्वारा गठित किए जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा निःशुल्क की जाएगी। चिकित्सा बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा। यदि कोई कर्मकार चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य पाया जाता है तो अध्यक्ष उसकी सेवाएं तुरन्त समाप्त कर देगा।

21. प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं—बोर्ड, डाक कर्मकारों के प्रशिक्षण के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेगा जो वह आवश्यक समझे।

22. रजिस्ट्रीकरण फीस-स्कीम अधीन रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक कर्मकार द्वारा बोर्ड को दो रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस संदेय होगा।

23. कार्डों का प्रदाय.—(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कर्मकार को बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में पहचान पत्र, उपस्थिति पत्र और मजदूरी पर्ची को निःशुल्क प्रदाय किया जाएगा।

(2) कार्ड खो जाने की दशा में एक नया कार्ड जारी किया जाएगा किन्तु उसका खर्च जो बोर्ड द्वारा नियत किया जाएगा, संबंधित कर्मकार द्वारा संदेय होगा।

24. रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के लिए सेवा अभिलेख-प्रशासनिक निकाय प्रत्येक मासिक और दैनिक और कर्मकार के संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप में एक "सेवा अभिलेख" रखेगा जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मकार के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई, प्रोन्नति और अच्छे काम के लिए प्रशंसाओं का भी पूरा अभिलेख और अन्य बातें होंगी। मासिक कर्मकारों के संबंध में ऐसे ब्यौरे का प्रदाय प्रशासनिक निकाय को रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा किया जाएगा।

25. रजिस्ट्रीकृत नियोजकों के लिए अभिलेख पत्र कार्मिक अधिकारी प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक के संबंध में बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्ररूप में एक "अभिलेख पत्र" रखेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रजिस्ट्रीकृत नियोजक के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाईयों का पूरा अभिलेख होगा।

26. पहचान पत्रों का अभ्यर्पण :—निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मकार का पहचान पत्र प्रशासनिक निकाय को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा, अर्थात् :—

(क) जब वह तीन या अधिक दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हो।

(ख) जब वह सेवा निवृत हो रहा हो;

(ग) जब उसे सेवा से पदच्युत या मुक्त कर दिया जाए ;

(घ) जब उसे अस्थायी तौर पर निलम्बित कर दिया जाए; या

(ङ) उसकी मृत्यु पर :

परन्तु मासिक कर्मकार का नियोजक भी मद (क) से (ङ) में विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में कर्मकार का पत्र प्रशासनिक निकाय को अभ्यर्पित कर देगा ।

27. उपस्थिति पत्र और मजदूरी स्लिप में प्रविष्टियां :— (1) पूलगत रजिस्ट्री डाक कर्मकार उस समय जब उसका रजिस्ट्रीकृत नियोजक को काम के लिए आबंटन कर दिया जाता है अपना उपस्थिति पत्र और मजदूरी स्लिप प्रशासनिक निकाय को सौंप देगा । रजिस्ट्रीकृत नियोजक उपस्थिति पत्र और मजदूरी स्लिप में कर्मकार द्वारा किए गए काम की अवधि की बाबत आवश्यक प्रविष्टियां करेगा और उन्हें उसको उसके काम की समाप्ति में के पूर्व लौटा देगा । प्रशासनिक निकाय यथा शीघ्र संभव, काम के प्रत्येक दिन के लिए कर्मकार द्वारा उपार्जित मजदूरी दर्शित करने वाली एक मजदूरी स्लिप का प्रदाय करेगा ।

28. कर्मकारों का नियोजन:—(1) किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक या नियोजकों के समूह से संलग्न किसी विशिष्ट प्रवर्ग का मासिक कर्मकार पूलगत उसी प्रवर्ग के किसी कर्मकार पर अधिमानी देकर उसी नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा उसी प्रवर्ग में काम के लिए नियोजित किए जाने का हकदार होगा ।

(2) यदि किसी विशिष्ट प्रवर्ग में मासिक रजिस्टरगत कर्मकारों की संख्या उपलभ्य काम के लिए पर्याप्त नहीं है तो उस प्रवर्ग में पूल रजिस्टरगत कर्मकारों को नियोजित किया जाएगा ।

(3) एक नियोजक या नियोजकों के समूह के मासिक कर्मकार को दूसरे नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से ही नियोजित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

29. पारियों में नियोजन—(1) डाक कर्मकारों का नियोजन पारियों में किया जाएगा ।

(2) (क) सामान्यतः किसी डाक कर्मकार को दो उत्तरवर्ती दिनों में से प्रत्येक दिन दो कर्मवर्ती पारियों में नियोजित नहीं किया जाएगा किसी भी दशा में किसी डाक कर्मकार को तीन कर्मवर्ती पारियों में नियोजित नहीं किया जाएगा।

(ख) पूलगत या मासिक रजिस्टरगत डाक कर्मकार को एक सप्ताह में 9 पारियों से या एक मास में 33 पारियों से अधिक में नियोजित नहीं किया जाएगा ।

(ग) विशेष परिस्थितियों में अध्यक्षमद (ख) के अधीन निबंधनों को, आवश्यक विस्तार तक अस्थायी रूप से, शिथिल कर सकेगा ।

(3) पूल-रजिस्टरगत प्रत्येक वर्ग के कर्मकारों को चक्रानुक्रम से काम आबंटित किया जाएगा ।

(4) जहां काम गैंग द्वारा किया जाता है, वहां कर्मकारों का आबंटन चक्रानुक्रम से गैंग द्वारा किया जाएगा ।

30. प्रत्याभूत न्यूनतम मासिक मजदूरी (1) पूल-रजिस्टरगत किसी कर्मकारों को, ऐसी मजदूरी-दर पर जो बोर्ड द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मंहगाई भत्ते सहित एक मास में कम से कम बारह दिन के लिए उस प्रवर्ग के लिए समुचित हो, जिसका वह स्थायी रूप से है, मजदूरी का संदाय किया जाएगा भले ही उस एक मास में न्यूनतम बारह दिनों तक उससे कोई काम न कराया गया है ।

उपरिवर्णित बारह दिनों में उन दिनों की गणना की जाएगी जिन दिनों में कर्मकार को काम आबंटित किया जाता है । एक मास में न्यूनतम प्रत्याभूत मजदूरी —

(क) इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कर्मकार प्रशासनिक निकाय के निदेशानुसार मास के सभी दिनों में काम के लिए उपस्थित रहा या उतने दिन के लिए होगी जितने दिन के के लिए मजदूरी प्रत्याभूत की गई है ।

(ख) उतने दिनों के अनुपात में होगी जितने दिन कर्मकार काम के लिए उपस्थित था परन्तु यह तब जब कि मास के शेष सभी दिनों के लिए उसे उपस्थिति से छूट दे दी गई थी ।

(2) उपखंड (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक मास में ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या जिनके लिए प्रत्याभूत की जानी है, बोर्ड द्वारा पूलगत कर्मकारों द्वारा निकासी और अप्रेषण कर्मकार के निम्नतम प्रवर्ग में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्राप्त मासिक औसत नियोजन के आधार पर अधिकतम या इकतीस दिनों के अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ष के लिए नियत की जा सकेगी ।

टिप्पण :—औसत नियोजन के निर्धारण की पद्धति इस स्कीम की अनुसूची 2 में दी गई है ।

(3) ऐसे न्यूनतम दिनों की संख्या, जिनके लिए, उपखंड (1) और (2) के अधीन रहते हुए मजदूरी प्रत्याभूत की जाएगी उन नए प्रवर्गों के कर्मकारों को, जो स्कीम के प्रवर्तन की तारीख के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत किए जाए, स्वतः लागू नहीं होगी । ऐसे न्यूतनम दिनों की संख्या जिनके लिए मजदूरी प्रत्याभूत की जाएगी, खंड 18 (6) (ङ) के अधीन अवधारित की जाएगी । उपखंड (2) के यथा अधीन न्यूनतम दिनों की संख्या का वार्षिक पुनर्नियतन उनके मामले में भी स्वतंत्र रूप से किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :

इस खंड के प्रयोजन के लिए-

(क) "दिन" से 24 घंटे का एक दिन अभिप्रेत है :

(ख) "मास" में साप्ताहिक अवकाश दिन सम्मिलित नहीं होंगे

31. उपस्थिति भत्ता स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए पूल रजिस्टरगत उस कर्मकार को, जो काम के लिए उपलब्ध है किन्तु जिसे कोई काम उपलब्ध न कराया जाए उन दिनों के लिए जब किसी कैलेण्डर मास के दौरान वह प्रशासनिक निकाय के निदेशानुसार काम के लिए उपस्थित हुआ था और उसे कोई काम उपलब्ध नहीं कराया गया था दैनिक मजदूरी के आधे की दर से उपस्थिति भत्ता दिया जाएगा :

परन्तु यह कि ऐसे किसी दिन के लिए कोई उपस्थिति भत्ता सदेय नहीं होगा, जिस दिन के लिए खंड 30 के अधीन या अन्यथा या खंड 33 के अधीन मंहगाई तथा अन्य भत्तों सहित, पूरी मजदूरी का संदाय किया जा चुका है।

32. एक पारी के लिए नियोजन—(1) पूल में किसी कर्मकार को एक पारी से कम की अवधि के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और जहां वह काम जिसके लिए कर्मकार को नियोजित किया गया है पारी की अवधि के भीतर ही पूरा कर दिया जाता है तो वह कर्मकार पारी की शेष अवधि के लिए ऐसा अन्य काम करेगा जिसकी उसी नियोजक या नियोजकों के समूह द्वारा अपेक्षा की जाए और यदि उसके लिए कोई अन्य काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे पूरी पारी की मजदूरी दी जाएगी :

परन्तु यदि उसे रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकारों के बीच किए गए किसी करार के अधीन या बोर्ड के किसी विनिश्चय के अधीन मात्रानुपाती दर से मजदूरी या प्रोत्साहन मजदूरी का संदाय किया जाता है तो उसे उसमें अधिकथित दरों से मजदूरी दी जाएगी ।

33. उस दशा में मजदूरी का संदाय जब काम पर लगाए जाने के पश्चात् काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है—जब रिजर्व पूल का कोई कर्मकार काम पर उपस्थित होता है और किसी कारणवश वह काम जिसके लिए वह उपस्थित हुआ है, आरम्भ नहीं हो सकता है या आगे नहीं चल सकता है और नहीं उसे कोई वैकल्पिक काम दिया जा सकता है तो वह कर्मकार उस प्रवर्ग के लिए, जिसका वह है समुचित दर पर, सभी भत्तों सहित दैनिक मजदूरी का हकदार होगा परन्तु यह तब जब वह पारी की शेष पूरी अवधि के लिए उपलब्ध रहता है और ऐसा वैकल्पिक नियोजन जो प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे दिया जाए, स्वीकार करता है।

परन्तु किसी ऐसे कर्मकार की दशा में, जो मात्रानुपाती दर से मजदूरी पद्धति के अधीन है इस खंड के अधीन उसे शोध्य संदाय को यदि कोई है, उसी अवधि की बाबत किए खाली समय के संदाय की रकम से कम कर दिया जाएगा ।

34. अवकाश दिन—प्रत्येक डाक कर्मकार एक वर्ष में उतने सवैतनिक अवकाश दिनों का और ऐसी दरों पर जो बोर्ड द्वारा खंड 40 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाएं, हकदार होगा। इस खंड के अधीन किया गया कोई संदाय खंड 30 के अधीन संगणित संदाय के अतिरिक्त होगा ।

35. समितियां—बोर्ड एक या अधिक समितियां नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह स्कीम के उपबन्धों के अनुपालन को सुकर बनाने के लिए अपने ऐसे कृत्य जो वह आवश्यक समझे, सौंप सकेगा तथा जैसा वह आवश्यक समझे, उन्हें उत्साहित या पुनर्गठित कर सकेगा । ऐसे व्यक्ति को बोर्ड के सदस्य नहीं है, यदि आवश्यक हो तो, किसी समिति के सहयोजित सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, किन्तु ऐसे सहयोजित सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार न होगा ।

36. रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की बाध्यताएं —(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने स्कीम की बाध्यताओं को स्वीकार कर लिया है।

(2) रिजर्व पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो काम के लिए उपलब्ध है, बोर्ड के नियोजन में समझा जाएगा।

(3) पूलगत कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार, जो काम के लिए उपलब्ध है, तब तक स्वयं को किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अधीन नियोजन में नहीं लगाएगा जब तक कि उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा उस नियोजक को आवंटित नहीं किया जाता है ।

(4) पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार, जो काम के लिए उपलब्ध है प्रशासनिक निकाय के निदेशों का पालन करेगा, और—

(क) ऐसे हाजिरी केन्द्रों या नियंत्रण बिन्दुओं पर और ऐसे समयों पर जो प्रशासनिक निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, उपस्थित होगा और यदि प्रशासनिक निकाय इस आशय का अनुदेश दे तो, ऐसे प्रतिधारण भत्ते के संदाय पर जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, पारी की पूर्ण अवधि पर्यन्त ऐसे हाजिरी केन्द्रों या नियंत्रण बिन्दुओं पर रहेगा;

(ख) डॉक कर्म से संबंधित किसी भी नियोजन को स्वीकार करेगा, चाहे वह उसी प्रवर्ग का हो जिसमें रजिस्ट्रीकृत किया गया है या किसी अन्य प्रवर्ग का जिसके लिए प्रशासनिक निकाय उसे स्थायी या अस्थायी रूप से उपयुक्त समझे।

(5) जब प्रशासनिक निकाय किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को जो काम के लिए उपलब्ध है, किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक के अधीन नियोजन के लिए आवंटित कर दे तब वह कर्मकार अपने कर्तव्यों का पालन ऐसे रजिस्ट्रीकृत नियोजक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या पर्यवेक्षक के निदेशों तथा उस पत्तन या स्थान के, जहां वह काम कर रहा है, नियमों के अनुसार करेगा।

37. रजिस्ट्रीकृत नियोजकों की बाध्यताएं —(1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक "स्कीम" की बाध्यताओं को स्वीकार करेगा ;

(2) खण्ड 28 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी रजिस्ट्रीकृत नियोजक प्रशासनिक निकाय द्वारा खण्ड 11 (ङ) के उपबंधों के अनुसार उसे आबंटित डाक कर्मकार से भिन्न किसी कर्मकार को नियोजित नहीं करेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजक प्रशासनिक निकाय द्वारा की गई व्यवस्थाओं के अनुसार उसे वर्तमान में और भविष्य में श्रमिकों की आवश्यकता के बारें में सभी उपलब्ध जानकारी देगा।

(4) रजिस्ट्रीकृत नियोजक जब तक कि अन्यथा निदेश न दिया जाए कालानुपाती दर या मात्रानुपाती दर पर काम करने वाले कर्मकारों द्वारा किए गए काम की मात्रा की विशिष्टियों और ऐसे अन्य आंकड़ जो उसके द्वारा काम पर लगाए गए रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के संबंध में अपेक्षित हों प्रशासनिक निकाय को देगा।

(5) (1) रजिस्ट्रीकृत नियोजक ऐसी रीति से और ऐसे समय पर, जो बोर्ड निादष्ट करें खण्ड 51 (1) के अधीन देय लेवी और पूलगत कर्मकारों को शोध्य मकल मजदूरी का प्रशासनिक निकाय को संदाय करेगा

(2) रजिस्ट्रीकृत नियोजक डाक कर्मकार कल्याण निधि के अभिदायों का सदाय करेगा।

(6) रजिस्ट्रीकृत नियोजक ऐसे अभिलेख रखेगा जिनकी बोर्ड अपेक्षा करे और बोर्ड को या ऐसे व्यक्तियों को जो बोर्ड द्वारा पदाभिहित किए जाए, युक्तियुक्त सूचना पद रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों से तथा जिस काम पर वे नियोजित किए गए हों, उससे संबधित सभी ऐसे अभिलेख और किसी भी प्रकार के अन्य दस्तावज पेण करेगा तथा उनसे संबधित ऐसी जानकारी देगा, जो बोर्ड द्वारा या उसकी और से जारी की गई किसी सूचना या निदेश में उपवर्णित हो।

38. नियोजन पर निबंधन—(1) रजिस्ट्रीकृत नियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति जिसे यह स्कीम लागू होती है किसी कर्मकार को डाक कर्म में नियोजित नहीं करेगा कर्मकार और न कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक, तब तक किसी डाक को नियोजन में लगाएगा या डाक-कर्म में नियोजित करेगा जब तक कि वह कर्मकार जिसे यह स्कीम लागू होती है रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार नहीं है।

(2) इस खण्ड के पूर्वगामी उपबन्धों के होते हुए भी:—

(क) जहां प्रशासनिक निकाय का यह समाधान हो जाता है कि —

(1) डाककर्म का आपाती रूप से किया जाना अपेक्षित है ; और —

(2) उस काम के लिए कोई रजिस्ट्रीकृत डाक-कर्मकार मिलना युक्तियुक्त रूप से साध्य नहीं है

वहा प्रशासनिक निकाय, बोर्ड द्वारा अधिरोपित किन्हीं परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकृत नियोजक को ऐसे व्यक्ति आबटित कर सकेगा जो रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार नहीं है। ऐसे कर्मकारों के चयन में जहां तक संभव हो, स्थानीय रोजगार कार्यालय से परामर्श किया जाएगा :

परन्तु जब भी अरजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को नियोजित करना हो प्रशासनिक निकाय यदि संभव हो तो, अध्यक्ष से ऐसे कर्मकारों के नियोजन का पूर्वानुमोदन अभिप्राप्त करेगा, और जहां यह संभव नहीं है वहा 24 घंटे के भीतर, अध्यक्ष को उन पूरी परिस्थितियों की, जिनमें ऐसे कर्मकार नियोजित किए गए, थे, रिपोर्ट करेगा तथा अध्यक्ष बोर्ड को उसके आगामी अधिवेशन में, ऐसे नियोजन की सम्यक् जानकारी देगा :

(ख) यदि किसी अवकाश दिन में डाक कर्म कराना हो तो बोर्ड, ऐसी शर्तों पर जो वह विनिर्दिष्ट करे, वहां तक जहां तक कि रजिस्ट्रीकृत कर्मकार काम के लिए उपलब्ध नहीं हो उस दिन अरजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के नियोजन, की अनुज्ञा दे सकेगा।

(ग) मद (क) और (ख) में निर्दिष्ट दशा में, रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा उपर्युक्त रूप में नियोजित व्यक्ति की बाबत ,खण्ड 37 के उपखण्ड (4), (5) और 6) तथा खण्ड 40 के प्रयोजनों के लिए, उस डाक-कर्म के संबध में यह माना जाएगा कि वह दैनिक कर्मकार था।

(3) पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार, उन दिनों जब उसे प्रशासनिक निकाय द्वारा काम के लिए आंबटित नहीं किया गया है, स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नियोजकों से भिन्न नियोजकों के अधीन यदाकदा नियोजन प्राप्त कर सकेगा। परन्तु यह तब जब वह खण्ड 36 के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरी तौर से पूरा करता है।

39. वे परिस्थितिया जिनमें स्कीम लागू नहीं रह जाती है (1) जब किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार का नाम इस स्कीम के उपबधों के अनुसार रजिस्टर या अभिलेख से हटा दिया गया हो तब स्कीम उसे लागू नहीं रह जाएगी।

(2) जब किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम इस स्कीम के उपबन्धों के अनुसार नियोजक रजिस्टर से हटा दिया गया है तब स्कीम उसे लागू नहीं रह जाएगी।

(3) इस खण्ड की कोई भी बात ऐसी किसी बाध्यता या अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी जो किसी ऐसे समय के दौरान उपगत हुई या प्रोद्भूत हुआ था जब वह व्यक्ति रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार या रजिस्ट्रीकृत नियोजक था।

40. कर्मकारों की मजदूरी, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें—रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक-कर्मकारों के बीच हुए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जब तक स्कीम में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंधित न हो किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार (चाहे वह पूलगत हो या मासिक रजिस्टरगत हो) और रजिस्ट्रीकृत नियोजक के बीच संविदा की एक विवक्षित शर्त होगी कि—

(क) मजदूरी, भत्ते और अतिकाल भत्ते की दरें, काम के घंटे विश्राम-अन्तराल, अवकाश दिन और उनकी बाबत वेतन तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो बोर्ड, कर्मकारों के प्रत्येक वर्ग के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट करें, और

(ख) मजदूरी-अवधि का नियतन, मजदूरी के संदाय का समय और मजदूरी में से कटौतियां मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के उपबन्धों के अनुसार होंगी।

41. नियोजन या अधो-नियोजन की बाबत वेतन और महंगाई भत्ता मजदूरी तथा अन्य भत्तों की बकाया का संदाय—(1) इस खण्ड और खण्ड 42 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए जब किसी मजदूरी अवधि में पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार काम के लिए उपलब्ध है किन्तु उसे काम या पूरा नहीं दिया जाता है तो वह बोर्ड से ऐसी रकमें प्राप्त करने का हकदार होगा जो खण्ड 30, 31 और 33 के अधीन उसे अनुज्ञेय हों।

(2) वे शर्तें जिनके अधीन रहते हुए कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार से बोर्ड में उक्त संदाय, यदि कोई हो, का हकदार है, ये हैं कि—

(क) वह, निदेशानुसार हाजिरी केन्द्रों या नियंत्रण बिन्दुओं पर हाजिर हुआ था और

(ख) उसकी हाजिरी लगाई गई थी।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के बीच हुए किसी करार में बोर्ड के किसी विनिश्चय या बोर्ड अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी निकाय की सिफारिश या केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में भूतलक्षी प्रभाव से किसी महंगाई भत्ते के पुनरीक्षण या पुनरीक्षित मजदूरी अथवा अन्य भत्ते मंजूर किए जाने की दशा में बोर्ड रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को यथास्थिति करार की या सिफारिश या आदेश की यदि वह ऐसा विनिश्चय करता है, तारीख तक, अपनी निधि में से बकाया राशि का संदाय कर सकेगा।

42. संदाय के लिए हकदार न होना—(1) कोई रजिस्ट्रीकृत कर्मकार जो पूल में रहने के दौरान बिना किसी पर्याप्त कारण के बिना खण्ड 36 (4) (क) या (ख) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी विधिपूर्ण आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसके विरुद्ध उप-खण्ड (3) के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) चाहे पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो उस नियोजन के दौरान जिसमें प्रशासनिक निकाय द्वारा उसे आबंटित किया गया है किसी पर्याप्त कारण के बिना खण्ड 36 (5) के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपने नियोजक द्वारा दिए गए किन्हीं विधिपूर्ण आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है तो उसका नियोजन समाप्त किया जा सकेगा और उसे रिजर्व पूल में वापस किया जा सकेगा चाहे उसे इस प्रकार वापस किया जाता है या नहीं, इसकी लिखित रिपोर्ट श्रम अधिकारी को दी जा सकेगी। जब किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को रिजर्व पूल में इस प्रकार वापस किया जाता है। तब प्रशासनिक निकाय उसका हाजिरी कार्ड तदनुसार पृष्ठांकित करेगा।

(3) श्रम अधिकारी उपखण्ड (1) या (2) के अधीन उद्भूत होने वाले प्रत्येक मामले पर विचार करेगा और यदि मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को अधिसूचित करता है कि उसका यह समाधान हो गया है कि डाक कर्मकार यथा-उपर्युक्त किसी विधिपूर्ण आदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार, उस मजदूरी अवधि की बाबत जिसमें ऐसी असफलता हुई थी या जारी रही थी खण्ड 41 के अधीन किसी संदाय का या किसी संदाय के ऐसे भाग का जो श्रम अधिकारी ठीक समझे, हकदार नहीं होगा।

43. अनुशासनिक प्रक्रिया—(1) कार्मिक अधिकारी, चाहे किसी शिकायत पर या अन्यथा, यह जानकारी प्राप्त होने पर कि कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक स्कीम के उपबंधों का पालन करने में असफल रहा है, इसकी बाबत अन्वेषण करने के पश्चात् उसे लिखित चेतावनी दे सकेगा, या

(2) जहां उसकी राय में उच्चतर शास्ति देना उचित है, वहां वह उपाध्यक्ष को उस मामले की रिपोर्ट करेगा जो तब आगे ऐसा अन्वेषण करवा सकेगा जैसा वह ठीक समझे तथा उस नियोजक के संबंध में निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात्—

(क) उसकी परिनिन्दा कर सकेगा और उसकी अभिलेख पत्र में परिनिन्दा अभिलिखित कर सकेगा, या

(ख) अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन रहते हुए और रजिस्ट्रीकृत नियोजक को लिखित रूप में एक मास की सूचना देने के पश्चात् प्रशासनिक निकाय को यह सूचित कर सकेगा कि नियोजक का नाम नियोजक रजिस्टर से अध्यक्ष द्वारा यथा अवधारित अवधि के लिए या गम्भीर अपराध अथवा अपनी बाध्यताओं के निर्वहन में गलती की दशा में स्थायी रूप से हटा दिया जाएगा।

(3) रिजर्व पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो स्कीम के किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता

है, या अनुशासनहीनता या अवचार का कोई कार्य करता है, उसकी नियोजक द्वारा श्रम अधिकारी को लिखित रूप में रिपोर्ट की जा सकेगी जो मामले का अन्वेषण करने के पश्चात् उस कर्मकार की बाबत निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात् वह—

(क) अवधारित कर सकेगा कि ऐसी अवधि तक जो वह उचित समझे वह कर्मकार खण्ड 41 के अधीन किसी संदाय या आंशिक संदाय का हकदार नहीं होगा,

(ख) उसे तीन दिन से अनधिक की अवधि के लिए बिना वेतन के निलम्बित कर सकेगा।

(3) (क) जहां उपखण्ड (2) अधीन श्रम अधिकारी को रिपोर्ट किए गए मामले में उसकी यह राय है कि अनुशासनहीनता या अवचार कार्य इतना गम्भीर है कि कर्मकार को और आगे काम नहीं करने दिया जाना चाहिए वहां श्रम अधिकारी, मामले का अन्वेषण लंबित रहने तक, कर्मकार को निलम्बित कर सकेगा और उपाध्यक्ष को तत्काल रिपोर्ट करेगा, जो उस मामले के प्रारम्भिक अन्वेषण के पश्चात् उसकी बाबत यह आदेश पारित करेगा कि क्या अंतिम आदेश होने तक कर्मकार को निलम्बित रहना चाहिए या नहीं

(ख) जहां कोई डाक कर्मकार मद (क) के अधीन आदेश द्वारा निलम्बित किया गया है, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, मंहगाई और अन्य भत्तों के जिसका वह हकदार होता, आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदाय किया जाएगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता भंडार कर सकेगा जो ऐसी आधारिक, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के तीन चौथाई से अधिक न हो ;

परन्तु जहां ऐसी जांच उन कारणों से जो सीधे उसे कर्मकार की है। कारण हुए माने जा सकते है नब्बे दिन की अवधि के परे चलती है वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता घटा कर आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के एक-चौथाई के बराबर कर दिया दिया जाएगा ।

(ग) इस प्रकार संदत्त निवाह भत्ता किसी भी दशा में वसूलीय या समपहरणीय नहीं होगा ;

(घ) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार को निर्दोष पाया जाता है वहां वह ऐसे संदायों का हकदार होगा जिनकी बाबत प्रशासनिक निकाय यह प्रमाणित करता है कि कर्मकार उन्हें कालानुपाती दर के आधार पर या खण्ड 31 के अधीन, तब पाता यदि वह निलम्बित न हुआ होता; परन्तु इस प्रकार संदेय रकम में से किसी विशिष्ट अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के रूप में संदेय या पहले ही संदत्त रकम कम कर दी जाएगी।

(4) जहां श्रम अधिकारी की राय में उपखण्ड (2) और (3) में उपबन्धित दण्ड से उच्चतर दण्ड देना उचित है वहां वह मामले की रिपोर्ट उपाध्यक्ष को करेगा।

(5) श्रम अधिकारी से उपखण्ड (4) के अधीन या नियोजकों से या किसी अन्य व्यक्ति से इस आशय की लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि रिजर्व पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार स्कीम के किसी उपबन्ध का अनुपालन करने में असफल रहा है या उसने अनुशासनहीनता या अवचार का कोई कार्य किया है या वह मानक अथवा आधार कार्य करने में निरंतर असफल रहा है या किसी अन्य रीति में अदक्ष रहा है, उपाध्यक्ष ऐसा अतिरिक्त अन्वेषण कर सकेगा या करा सकेगा जैसा वह ठीक समझे तथा तत्पश्चात् सम्बद्ध कर्मकार की बाबत निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात् वह निम्नलिखित में से कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा :—

(क) यह अवधारित कर सकेगा कि, ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे , वह कर्मकार खण्ड 41 के अधीन किसी संदाय या आंशिक संदाय का हकदार नहीं होगा ;

(ख) उसे लिखित चेतावनी दे सकेगा ;

(ग) उसे तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बिना वेतन के निलम्बित कर सकेगा ;

(घ) उसका वेतन घटा सकेगा या उसे उस सीमा तक जहां तक वह उचित समझे निम्नतर प्रवर्ग में प्रतिवर्तित कर सकेगा ;

(ङ) 14 दिन की सूचना या उसके बदले में 14 दिन के भत्ते सहित मजदूरी देने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा ; या

(च) उसे पदच्युत कर सकेगा ।

(6) इस खंड के अधीन कोई कार्यवाही करने से पहले संबद्ध व्यक्ति को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उस के विरुद्ध प्रस्थापित कार्रवाई क्यों न की जाए और ऐसा व्यक्ति यदि वह चाहता है तो ऐसी कार्रवाई की बाबत साक्ष्य पेश कर सकेगा ।

(7) इस खंड के अधीन की गई कार्रवाई की सूचना साथ ही साथ प्रशासनिक निकाय को दी जाएगी ।

(8) इस खंड और खंड 42 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी में निहित शक्तियां स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भी उन मामलों में

जो अंतिम नामित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोक्तव्य होंगी :—

सारणी

प्राधिकारी, जिसे कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है ।	स्कीम के उपबन्ध	प्राधिकारी जिसे विनिर्दिष्ट मामलों में कार्रवाई करने के लिए सशक्त किया गया है
1. श्रम अधिकारी	खंड 42 और 43	प्रशासनिक निकाय
2. कार्मिक अधिकारी	खंड 43	उपाध्यक्ष या अध्यक्ष
3. उपाध्यक्ष	खंड 43	अध्यक्ष

(9) खंड 44 और 50 के अध्यक्ष की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रीकृत नियोजक को अपने अधीन नियोजक मासिक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की पूर्ण शक्तियां होंगी ।

44. अध्यक्ष की विशेष अनुशासनिक शक्तियां—(1) स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के किसी गेंग द्वारा या व्यष्टितः किसी ऐसे कर्मकार द्वारा "धीरे काम करो" नीति अपनाई गई है और कर्मकारों के उसी गेंग द्वारा उसे जारी रखा जाता है या उसकी पुनरावृत्ति की जा रही है तो वह लिखित रूप में उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा ।

(2) जब उपखंड (1) के अधीन घोषणा की जा चुकी है तब अध्यक्ष के लिए निम्नलिखित कार्रवाई करना विधिपूर्ण होगा—

(1) मासिक कर्मकारों की दशा में, रजिस्ट्रीकृत नियोजकों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे कर्मकारों के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना जिसके अन्तर्गत पदच्युति भी है जो वह समुचित समझे, और

(2) पूल में रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों की दशा में, ऐसे कर्मकारों के विरुद्ध ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई करना जिसके अंतर्गत पदच्युति भी है जो वह समुचित समझे तथा, उस मजदूरी अवधि या अवधियों की बाबत जिनके दौरान "धीरे काम करने" नीति अपनाई गई हो, उनकी प्रत्याभूत न्यूनतम मजदूरियों और उपस्थिति भत्ते का समपहरण भी सम्मिलित है ।

(3) अध्यक्ष—

(1) जहां किसी कर्मकार द्वारा "धीरे काम करो" नीति अपनाई गई है, वहां सम्बन्धित कर्मकार के विरुद्ध,

(2) जहां किसी गेंग द्वारा "धीरे काम करो" नीति अपनाई गई है, वहां गेंग के सभी सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगा ।

(4) किसी डाक कर्मकार या डाक कर्मकारों के गेंग के विरुद्ध इस खंड के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई करने से पहले ऐसे कर्मकारों को या गेंग को यह हेतुक दर्शित करने का अवसर दिया जाएगा कि उसके विरुद्ध प्रस्थापित कार्रवाई क्यों न की जाए,

परन्तु अध्यक्ष, उपखण्ड (1) के अधीन घोषणा कर दिए जाने के तुरन्त पश्चात् किसी कर्मकार या कर्मकारों के गेंग को इस उपखंड के अधीन हेतुक दर्शित करने का अवसर देने के पहले काम से निलम्बित कर सकेगा ।

(5) (क) जहां कोई कर्मकार जांच के लंबित रहने तक निलम्बित किया गया है, वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी, मंहगाई तथा अन्य भत्तों के जिसका वह हकदार होता यदि वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होता, आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के तीन चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच उन कारणों से, जो सीधे उस कर्मकार के कारण हुए माने जा सकेते हैं, नब्बे दिन की अवधि के परे चलती है वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता घटा दे, आधारित मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के एक चौथाई के बराबर कर दिया जाएगा ।

(ख) इस प्रकार संदत्त निर्वाह-भत्ता किसी भी दशा में वसूलीय या समपहरणीय नहीं होगा ।

(ग) जहां किसी डाक कर्मकार को निर्दोष पाया जाता है वह अपने निलम्बन की अवधि की बाबत ऐसे संदायों का हकदार होगा, जिनकी बाबत प्रणासनिक निकाय यह प्रमाणित करे कि कर्मकार उन्हें कालानुपातीदार के आधार पर या खण्ड 31 के अधीन तब पाता, यदि वह निलम्बित न हुआ होता, परन्तु इस प्रकार संदेय रकम में से उस अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के रूप में पहले ही संदत्त रकम कम कर ली जाएगी ।

(6) कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार जो उपखंड (2) के अधीन अध्यक्ष के आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति

की तारीख के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा ।

45. नियोजन का पर्यवसान—(1) पूल में किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार का नियोजन स्कीम के उपबन्धों के अनुसार ही पर्यवसित किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

(2) पूल में कोई रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार बोर्ड को 14 दिन की लिखित सूचना दिए बिना या उसके बदले में मंहगाई भत्ते सहित 14 दिन की मजदूरी समपहृत कराए बिना बोर्ड में अपना नियोजन नहीं छोड़ेगा ।

(3) जब किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार का बोर्ड में नियोजन उपखंड (1) या (2) के अधीन पर्यवसित कर दिया गया है तब प्रशासनिक निकाय उसका नाम रजिस्टर या अभिलेख में तुरन्त हटा देगा ।

46. कर्मकारों द्वारा अपील—(1) इस खंड में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, पूलगत कोई कर्मकार जो निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसे आदेशों के विरुद्ध अपील कर सकेगा ।

सारणी

आदेश पारित करने वाला प्राधिकारी	स्कीम के उपबंध	अपील प्राधिकारी
1	2	3
1 श्रम अधिकारी या प्रशासनिक निकाय	खंड 42 और 43	उपाध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष	खंड 43	अध्यक्ष
3 अध्यक्ष	खंड 43	केन्द्रीय सरकार

(2) कोई कर्मकार, जो—

(i) उसे अभिलेख रजिस्टर में किसी विशिष्ट समूह में रखने वाले; या

(ii) खंड 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार करने वाले ; या

(iii) खंड 36(4) (ख) के अधीन उससे ऐसा काम करने की अपेक्षा करने वाले, जो उस प्रवर्ग का नहीं है, जिसका वह है

किसी आदेश से व्यथित है, अध्यक्ष को अपील कर सकेगा।

(3) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार का नाम बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार अभिलेख रजिस्टर से हटाने की सम्यक सूचना दे दी गई है वहां अपील तब नहीं होगी, यदि नाम हटाने का आधार यह है कि वह रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार, उस वर्ग या वर्णन के डाक कर्मकारों के अन्तर्गत आता है जिनके नाम उस प्रवर्ग या वर्णन के आकार को कम करने के उद्देश्य से अभिलेख रजिस्टर से हटाये जाने है।

(4) उपखंड (1), (2) या (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्राप्ति की तारीख के 14 दिन के भीतर की जायेगी ।

परन्तु अपील प्राधिकारी, उसके लिये जो कारण है उन्हे अभिलिखित करके, 14 दिन के अवसान के पश्चात् की गई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(5) अपील प्राधिकारी अपीलकर्ता को यदि वह ऐसा चाहता है तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और कारणों को अभिलिखित करके ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(6) उपखंड (5) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश अपीलकर्ता को संसूचित किया जायगा ।

(7) कोई अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार नहीं होगा किन्तु वह जिस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य है उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा या किसी रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा ।

47 नियोजकों द्वारा अपीलें—(1) (क) कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक जो कार्मिक अधिकारी के खंड 43(1) (1) के अधीन आदेश से व्यथित है उपाध्यक्ष को अपील कर सकेगा जो उसका विनिश्चय करेगा ।

(ख) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक उपाध्यक्ष के खंड 43(i) (ii) के अधीन मूल आदेश से व्यथित है तो वह अध्यक्ष को अपील कर सकेगा जो उसका विनिश्चय करेगा । खंड 43 (i) (ii) (ख) के अधीन अध्यक्ष के किसी आदेश के विरुद्ध किसी अपील की दशा में अध्यक्ष मामले को तुरन्त केन्द्रीय सरकार को निर्देशित करेगा । केन्द्रीय सरकार उस अपील में ऐसा आदेश करेगी जैसा वह ठीक समझे ।

(2) कोई नियोजक जिसे खण्ड 15(i) (i)(ग) के अधीन रजिस्ट्रीकरण से इन्कार किया गया हो अध्यक्ष के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार उस पर ऐसा आदेश करेगी जो वह ठीक समझे ।

(3) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक अध्यक्ष, के खंड 43 के अधीन उसके विरुद्ध किसी मूल आदेश से, व्यथित है तो वह केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा । केन्द्रीय सरकार अपील पर ऐसा आदेश करेगी जो वह ठीक समझे ।

(4) उपखंड (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक अपील लिखित रूप में होगी और जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्राप्ति के 14 दिन के भीतर की जायेगी ।

परन्तु अपील प्राधिकारी उसके लिये जो कारण है उन्हें अभिलिखित करके 14 दिन के अवसान के पश्चात् की गई अपील ग्रहण कर सकेगा ।

(5) कोई अपीलार्थी अपील प्राधिकारी के समक्ष किसी विधि-व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार नहीं होगा किन्तु वह जिस रजिस्ट्रीकृत नियोजकों के संगम का सदस्य है उसके किसी प्रतिनिधि द्वारा या किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व का हकदार होगा ।

48. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पुनरीक्षण की शक्ति—इस स्कीम के किसी बात के होते हुए भी उपाध्यक्ष द्वारा खंड 43 के अधीन पारित किसी आदेश की दशा में अध्यक्ष या यथास्थिति कामिक अधिकारी या श्रम अधिकारी द्वारा उक्त खंड के अधीन पारित किसी आदेश की दशा में उपाध्यक्ष किसी भी समय, आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, उस कार्यवाही के किसी अभिलेख को मंगा सकेगा जिसमें, यथास्थिति, उपाध्यक्ष या कामिक अधिकारी या श्रम अधिकारी ने आदेश पारित किया है तथा उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

49. कतिपय अपीलों की दशा में आदेश का स्थगित किया जाना—जहां 14 दिन की सूचना दे कर सेवा के पर्यवसान के आदेश के विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार द्वारा खंड 46 के उपबन्धों के अनुसार अपील की गई है या जहां खंड 43 (i) (ii) (ख) के अधीन नियोजक रजिस्टर से उसका नाम हटा देने के आदेश के विरुद्ध किसी नियोजक द्वारा खंड 47 के उपबन्धों के अनुसार अपील की गई है वहां अपील प्राधिकारी, अपील की सुनवाई और निपटारा होने तक उस आदेश का, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, प्रवर्तन निलम्बित कर सकेगा ।

50. आपात की स्थिति में कार्यवाई के लिये विशेष उपबन्ध—(i) यदि किसी समय अध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी आपात स्थिति उद्भूत हो गई है जो पत्तन के कार्यकरण पर गम्भीर रूप से प्रभाव डालेगी, तो वह लिखित आदेश देकर, और ऐसी अवधि के लिये जो वह समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, ऐसे आशय की घोषणा कर सकेगा :

परन्तु ऐसी कोई घोषणा केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से ही की जायेगी अन्यथा नहीं ।

(2) जब तक उपखंड (1) के अधीन कोई आदेश प्रवृत्त है तब तक निम्नलिखित उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

(i) यदि ऐसा कोई अभिकथन किया जाता है कि कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक स्कीम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में असफल रहा है तो अध्यक्ष उस अभिकथन के संबंध में संक्षिप्त जांच करने के पश्चात् उस नियोजक के संबंध में निम्नलिखित में से कोई कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात्—

(क) रजिस्ट्रीकृत नियोजक को लिखित चेतावनी दे सकेगा; या

(ख) यह निदेश दे सकेगा कि रजिस्ट्रीकृत नियोजक का नाम नियोजक रजिस्टर से या तो स्थायी रूप से या ऐसी अवधि के लिये जो वह अवधारित कर तुरन्त हटा दिया जाय; परन्तु उस उपमद के अधीन नाम किए नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही हटाया जायगा अन्यथा नहीं ।

(ii) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत डॉक कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनहीनता "धीरे काम करो" या अवचार का अभिकथन किया जाता है तो अध्यक्ष जांच के लम्बित रहने तक उसे तुरन्त निलम्बित कर सकेगा अभिकथन की बाबत संक्षिप्त जांच कर सकेगा और उस कर्मकार के विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात् वह—

(क) वह अवधारित कर सकेगा कि ऐसी अवधि के लिए जो वह उचित समझे, वह कर्मकार खण्ड 18 के अधीन किसी संदाय का हकदार नहीं होगा;

(ख) उसे लिखित चेतावनी दे सकेगा ;

(ग) उसे तीन मास से अनधिक की अवधि के लिए बिना वेतन के निलम्बित कर सकेगा;

(घ) 14 दिन की सूचना या उसके बदले में, मंहगाई भत्ते सहित 14 दिन की मजदूरी देने के पश्चात् उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेगा; या

(ङ) उसे पदच्युत कर, सकेगा :

परन्तु उपमद (घ) के अधीन सेवा की ऐसी समाप्ति या उपमद (ङ) के अधीन ऐसी पदच्युति कि कर्मकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(iii) (क) जहां किसी कर्मकार को जांच के लंबित रहने तक निलम्बित किया गया है वहां उसे निलम्बन की तारीख से प्रथम नब्बे दिन के लिए उस आधारिक मजदूरी ,मंहगाई और अन्य भत्तों के, जिसका वह हकदार होता, यदि वह मजदूरी सहित छुट्टी पर होता, आधे के समतुल्य निर्वाह भत्ता संदत्त किया जाएगा और तत्पश्चात् अध्यक्ष असाधारण दशाओं में ऐसा उच्चतर निर्वाह भत्ता मंजूर कर सकेगा जो ऐसी

आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तें के तीन-चौथाई से अधिक न हो :

परन्तु जहां ऐसी जांच उन कारणों से जो सीधे उस कर्मकार के कारण हुए माने जा सकते हैं नब्बे दिन की अवधि के परे चलती है वहां नब्बे दिन से अधिक की अवधि के लिए निर्वाह भत्ता घटा कर आधारिक मजदूरी, मंहगाई भत्ते और अन्य भत्तों के एक चौथाई के बराबर कर दिया जाएगा।

(ख) इस प्रकार संदत्त निर्वाह भत्ता किसी भी दशा में वसूलीय या समपहरणीय नहीं होगा।

(ग) जहां किसी डाक कर्मकार को निर्दोष पाया जाता है वहां वह अपने निलम्बन की अवधि की बाबत ऐसे संदायों का हकदार होगा जिनकी बाबत प्रशासनिक निकाय यह प्रमाणित करे कि कर्मकार उन्हें कालानुपाती दर के आधार पर या खंड 31 के अधीन तब पाता यदि वह निलम्बित न हुआ होता, परन्तु इस प्रकार संदेय रकम में से उक्त अवधि के दौरान निर्वाह भत्ते के रूप में पहले ही संदत्त रकम कम कर दी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रीकृत नियोजको और रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई मे संबंधित स्कीम के उपबन्ध अध्यक्ष द्वारा, उपखंड (2) के अधीन पारित किसी आदेश को लागू नहीं होंगे।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकार या रजिस्ट्रीकृत नियोजक, जो अध्यक्ष द्वारा उप खण्ड (2) के अधीन दिए गए आदेश से व्यथित है। आदेश की प्राप्ति की तारीख के 30 दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपील कर सकेगा।

(5) स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, जब तक उपखण्ड (1) के अधीन कोई आदेश प्रवृत्त है, अध्यक्ष रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा अरजिस्ट्रीकृत कर्मकारों का सीधे नियोजन और ऐसे अरजिस्ट्रीकृत कर्मकारों को सीधा संदाय प्राधिकृत कर सकेगा।

51. स्कीम के प्रवर्तन का खर्च—(1) स्कीम के प्रवर्तन का खर्च रजिस्ट्रीकृत नियोजको द्वारा बोर्ड को दिए गई संदायों में से किया जाएगा। प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक खण्ड 37(5) (i) के अधीन उससे शोध्य सकल मजदूरी के संदस्य के साथ-साथ तथा उसी समय पर पूलगत कर्मकारो की बाबत लेवी के रूप में ऐसी रकम बोर्ड को संदत्त करेगा जो बोर्ड समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत नियोजकों को लिखित सूचना देकर विनिर्दिष्ट करे तथा इस प्रकार लेवी के रूप में संदेय रकम उस से कम नही होगी जो बोर्ड प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत नियोजक द्वारा संदेय न्यूनतम रकम के रूप में नियत करे। यदि आवश्यक समझा जाए तो बोर्ड किसी रजिस्ट्रीकृत नियोजक से मासिक कर्मकारों की बाबत लेवी के रूप में ऐसी रकम ऐसी दर पर देने की अपेक्षा भी कर सकेगा जो वह अवधारित करे।

(2) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा उपखण्ड (1) के अधीन किए जाने वाले संदायों का अवधारण करने में बोर्ड विभिन्न प्रवर्गों के कार्यों और कर्मकारों के लिए लेवी की विभिन्न दरे नियत कर सकेगा, परन्तु लेवी इस प्रकार से नियत की जाएगी कि समान परिस्थितियों वाले सभी डाक नियोजकों लेवी की एक ही दर लागू होगी।

(3) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना किसी ऐसी लेवी की मंजूरी नहीं देगा जो दैनिक आधारिक मजदूरी के आधार पर संगणित प्राक्कलित कुल मजदूरी बिल के शत- प्रतिशत से अधिक है।

(4) कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक, मांग की जाने पर बोर्ड को, उपखण्ड (1) में निर्दिष्ट रकम, निक्षेप के रूप में संदत्त करेगा या उसके सम्यक् संदाय के लिए ऐसी अन्य प्रतिभूति की व्यवस्था करेगा जो बोर्ड उचित समझे।

(5) प्रशासनिक निकाय, बोर्ड को स्कीम के प्रवर्तन तथा वित्त-पोषण के संबंध में बोर्ड द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित आंकड़े और अन्य जानकारी समय-समय पर देगा।

(6) यदि कोई रजिस्ट्रीकृत नियोजक, उपखंड (1) के अधीन उससे शोध्य संदाय या कोई अन्य रकम, जो बोर्ड को किसी अन्य हैसियत से या लेखा मदे शोध्य और संदेय है, प्रशासनिक निकाय द्वारा विहित समय के भीतर, चुकाने में असफल रहता है तो प्रशासनिक निकाय नियोजक पर इस आशय की एक सूचना की तामील करेगा कि यदि वह सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीन दिन के भीतर उसमे शोध्य रकम संदत्त नहीं करेगा तो उसे रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का प्रदाय निलम्बित कर दिया जाएगा। सूचना अवधि के समाप्त होने पर प्रशासनिक निकाय व्यतिक्रमी नियोजक की, तब तक के लिए जब तक शोध्य रकम नही चुका देता है रजिस्ट्रीकृत डाक कर्मकारों का प्रदाय निलम्बित कर देगा।

52. भविष्य-निधि और उपदान—(1) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के बीच हुए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिजर्व पूल के कर्मकारों के संबंध में बोर्ड और अपने मासिक कर्मकारों के सम्बन्ध मे रजिस्ट्रीकृत नियोजको अभिदायी भविष्य निधि का उपबन्ध करने वाले नियमों की विरचना करेंगे तथा उन्हें प्रवर्तित करेंगे, नियमों में कर्मकारों और नियोजकों द्वारा किए जाने वाले अभिदाय की दर, संदाय की रीति और पद्धति के लिए और ऐसे अन्य विषयों के लिए उपबन्ध होंगे, जो आवश्यक समझे जाएं। परन्तु मासिक कर्मकारों को लागू होने वाले नियम पूलगत-कर्मकारों से संबंधित नियमो से कम अनुकूल नही होंगे।

(2) रजिस्ट्रीकृत नियोजकों और रजिस्ट्रीकृत कर्मकारो के बीच हुए किसी करार के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

बिना बोर्ड सूचीबद्ध कर्मकारों को उपदान का संदाय करने के लिए नियम विरचित करेगा ।

53. डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार कल्याण-निधि—सूचीबद्ध डॉक कर्मकारों के लिए सुख-सुविधाएं, कल्याण और स्वास्थ्य के उपायों तथा शामोद प्रमोद की सुविधाओं का व्यय डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार कल्याण-निधि के नाम से एक पृथक् निधि में से किया जाएगा, जिसका अनुरक्षण बोर्ड करेगा । इस निधि में रजिस्ट्रीकृत नियोजकों द्वारा ऐसी दर पर अभिदाय किए जाएंगे जो बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए । बोर्ड इस निधि में किए जाने वाले अभिदायों तथा निधि के रखे जाने और प्रवर्तन के लिए नियम बनाएगा ।

54. शास्तियां—खंड 38 का उल्लंघन, प्रथम उल्लंघन के लिए तीन मास से अनधिक की या किसी पश्चात्-वर्ती उल्लंघन के लिए छह मास से अनधिक की अवधि के कारावास से या प्रथम उल्लंघन के लिए पांच सौ रुपए से अनधिक या किसी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने से या यथापूर्वोक्त कारावास और जुर्माने दोनों से दण्डनीय होगा ।

55. निरसन और व्यावृत्ति—मुम्बई अरजिस्ट्रीकृत डॉक निकासी और अग्रेषण कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1973 इसके द्वारा, निरसित की जाती है ;

परन्तु उक्त स्कीम के अधीन किया गया कोई आदेश, प्रोद्भूत अधिकार, उपगत शास्ति अथवा की गई कोई बात या कार्रवाई, यावत्शक्य, इस स्कीम के अधीन किया गया, प्रोद्भूत उपगत या की गई समझी जाएगी और किसी लिखत में उक्त स्कीम के किसी उपबंध के प्रति कोई निर्देश इस स्कीम के तत्स्थानी उपबंधों के प्रति निर्देश समझा जाएगा ।

अनुसूची

डॉक कर्म और डॉक कर्मकारों के ये वर्ग या वर्णन, जिन्हें यह स्कीम लागू होती है :—

(1) मुम्बई डाक में निकासी के लिए आयात और निर्यात किए जाने वाले माल की डॉक कर्म हैन्डलिंग

(2) डॉक कर्मकार—

(क) मुकदम

(ख) निकासी और अग्रेषण मजदूर

अनुसूची 2

(खण्ड 33 देखिए)

एक मास में उतने न्यूनतम दिनों की संख्या जिनके लिए मजदूरी प्रत्याभूत की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती 12 मास के दौरान औसत नियोजन के आधार पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित की जाएगी :

(क) मान लीजिए कि अक्तूबर, 1979 में कोई निर्धारण किया जा रहा है, तो पूलगत कर्मकारों (जिनके अन्तर्गत छुट्टी आरक्षित कर्मकार भी हैं, किन्तु मुकदम नहीं है) की कुल संख्या जो 1 अक्तूबर, 1978 और 31 अक्तूबर, 1978 को हो, अभिनिश्चित की जानी चाहिए । इन प्रवर्गों की रजिस्टर पर औसत संख्या दोनों अंकों को जोड़कर और 2 से भाग देकर अभिनिश्चित की जानी चाहिए ।

(ख) उन श्रमपारियों की कुल संख्या जिनमें मास के दौरान मद (क) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के गैंग कर्मकारों ने काम किया हो, दैनिक नियोजन के आंकड़ों से अभिनिश्चित की जानी चाहिए ।

(ग) उपर्युक्त कर्मकारों द्वारा ली गई प्राधिकृत या अप्राधिकृत छुट्टी के श्रम दिनों की कुल संख्या अभिनिश्चित की जानी चाहिए । छुट्टी पर जाने वाले कर्मकारों की औसत संख्या अभिनिश्चित करने के लिए इस अंक को मास में काम के दिनों की संख्या से भाग देना चाहिए ।

(घ) मास के दौरान उपलब्ध कर्मकारों की प्रभावी संख्या प्राप्त करने के लिए मद (ग) में अभिनिश्चित की गई संख्या को मद (क) में आए औसत में से घटा देना चाहिए ।

(ङ) मद (ख) के अधीन अभिनिश्चित श्रमपारियों के अंकों को मद (च) में अभिनिश्चित प्रभावी संख्या से भाग देना चाहिए । आए हुए अंक मास अक्तूबर, 1978 के दौरान नियोजन के दिनों की औसत संख्या होगी ।

(च) उपर्युक्त प्रक्रिया नवम्बर, 1978 से सितम्बर, 1979 तक के शेष 11 मास के लिए दोहराई जानी चाहिए ।

(छ) 12 मास के औसत नियोजन के अंकों को जोड़ा जाना चाहिए और उन्हें 12 से भाग दिया जाना चाहिए ।

(ज) उपरोक्त मद (छ) में आए हुए अंकों को, दिनों की उस न्यूनतम संख्या के रूप में नियत किया जाना चाहिए जिससे 30 नवम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले आगामी 12 मास के लिए मजदूरी प्रत्याभूत की जाएगी ।

निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा :—

मान लीजिए निकासी गैंग कर्मकारों की (मुकदम को छोड़कर) कुल संख्या और पूलगत संख्या—

1 अक्तूबर, 1978 को और	2000
31 अक्तूबर, 1978 को	1950
	3950

है तो मास में रजिस्टरगत औसत संख्या

$$\frac{3950}{2} = 1975$$

होगी ।

अक्तूबर, 1978 में उपरोक्त प्रवर्गों के कर्मकारों द्वारा काम की गई श्रमपारियों की कुल संख्या 36000

कर्मकारों द्वारा ली गई प्राधिकृत छुट्टी के श्रम दिनों की कुल संख्या 5250

है, तो उक्त मास में काम के दिनों की संख्या (मास के 31 दिनों में से एक दिन घटाकर जिसको काम बंद रहा है होगी 30

छुट्टी पर जाने वाले कर्मकारों की औसत संख्या $\frac{5250}{30} = 175$

मास के दौरान उपलब्ध प्रभावी संख्या 1975−175 = 1800

अक्तूबर, 1978 मास के लिए औसत नियोजन संख्या 36000 / 1800 = 20 दिन

शेष 11 मास की औसत नियोजन संख्या निकालने के लिए भी इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा। मान लीजिए कि संख्याएं निम्नलिखित हैं :—

अक्तूबर	1978	20
नवम्बर	1978	21
दिसम्बर	1978	18
जनवरी	1979	20
फरवरी	1979	18
मार्च	1979	19
अप्रैल	1979	20
मई	1979	19
जून	1979	18
जुलाई	1979	19
अगस्त	1979	20
सितम्बर	1979	16
	योग	228

उन दिनों की संख्या, जिनके लिए 30 सितम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले आगामी 12 मास के लिए मजदूरी प्रत्याभूत की जाएगी,

$$\frac{228}{12} = 19 \text{ दिन}$$

होगी ।

[सं० एल डी वी/10/81-एल-4]

श्री० शंकरलिंगम, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 1983

S.O. 4(E).—Whereas the draft of the Bombay Dock Clearing & Forwarding (Regulation of Employment) Scheme, 1981 was published as required by sub-section (1) of Section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), at pages 3877-3902 of the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 19th December 1981, under the notification of the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing), No. S.O. 3402 dated the 28th November 1981, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of two months from the date of publication of the said notification in the official Gazette.

And Whereas the said Gazette was made available to the public on the 2nd January, 1982.

And Whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Scheme for the port of Bombay, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) This Scheme may be called the Bombay Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1983 (hereinafter referred to as the Scheme).

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Objects and application :—(1) The objects of the Scheme are to ensure greater regularity of employment for the dock clearing and forwarding workers and to secure that an adequate number of dock clearing and forwarding workers is available for the efficient performance of Dock clearing and forwarding work.

(2) The Scheme relates to the Port of Bombay and applies to all workers engaged in loading, unloading, transport of import and export goods for clearance in the Bombay Docks as set out in Schedule I but shall not apply to—

(a) Workers engaged in loading and unloading operations of—

(i) Cotton bales and bag cargo exceeding 80 kilos each and above ;

(ii) cargoes landed and cleared from Bunders ;

(iii) hides and skins;

(iv) bulk cargo imported loose.

(b) hand cart operators—Transporting cargo outside the dock gates.

(3) The Scheme shall apply to registered workers and registered employers as defined in Clause 3.

(4) Nothing in this Scheme shall apply to any class or description of dock work and dock workers in the Indian Naval Dockyard, Bombay

3. Definitions :—In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Dock Workers' (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948) ;

(b) "Administrative Body" means the Administrative Body appointed under clause 4 ;

(c) "Board" means the Bombay Dock Labour Board constituted under the Act ;

(d) "Chairman" means the Chairman of the Board ;

(e) "Deputy Chairman" means the Deputy Chairman of the Board.

(f) "Daily Worker" means a registered dock worker who is not a monthly worker ;

(g) "Dock employer" means the person by whom a dock worker is employed or is to be employed and includes a group of dock employers formed under clause 15 (1) (d) ;

(h) "dock work" means clearing and forwarding operations at places or premises to which the Scheme relates, ordinarily performed by workers of the classes or descriptions to which the Scheme applies ;

(i) "employers' register" means the register of dock employers maintained under the Scheme ;

(j) "Labour Officer" means the Labour Officer appointed by the Administrative Body under clause 12.

(k) "monthly worker" means a registered dock worker who is engaged by a registered employer or a group of such employers on monthly basis under a contract which requires or its termination at least one month's notice on either side ;

(l) "Personnel Officer" means the Personnel Officer appointed by the Board under clause 5 ;

(m) "Pool" means a pool of registered dock workers who are available or work and who are not for the time being in the employment of a registered employer or a group of dock employers as monthly workers ;

(n) "register or record" means the register or record of dock workers maintained under the Scheme.

(o) "registered dock worker" means a registered dock clearing and forwarding worker, whose name is for the time being entered in the register or records for carrying out dock work specified in Schedule I of this Scheme.

(p) "registered employer" means a clearing and forwarding employer whose name is for the time being entered in the employers' register and who holds a licence for the collector of custom, unless so exempted by the Board in view of subclause (c) of clause 15.

(q) "Rules" mean the Dock workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

(r) 'week" means the period commencing from the mid-night of Saturday and ending on the midnight of the next succeeding Saturday.

4. Administrative Body .—(1) The Central Government may by notification in the Official Gazette, appoint a body consisting of employers of Dock clearing and forwarding workers or any authority to be the Administrative Body for the purpose of carrying on the day-to-day administration of the Scheme.

(2) The Administrative Body shall, subject to supervision and control of the Board and the Chairman and subject to the provisions of Clause 43 carry on the day to day administration of the Scheme.

(3) The Central Government may for sufficient cause remove any administrative Body appointed under sub-clause (1) :

Provided that the Administrative Body shall not be removed unless it has been given a reasonable opportunity of being heard.

5. Personnel Officer and other servants of the Board.—The Chairman may appoint a Personnel Officer and such other officers and servants and pay them such salaries and allowances and specify such terms and conditions of service as he deems fit:

Provided, that no post the maximum salary of which exclusive of allowance is rupees 1650 and above per mensem shall be created, and no appointment in such post shall be made by the Chairman except with the previous approval of the Central Government:

Provided further that the sanction of the Central Government shall not be necessary to any appointment in a leave vacancy of a duration of not more than three months.

6. Functions of the Board :—(1) The Board may take such measures as it may consider desirable for furthering the objectives of the Schemes set out in Clause 2 including measures for :

(a) ensuring the adequate supply and the full and proper utilisation of dock labour for the purpose of facilitating the speedy transit of cargo through the port ;

(b) regulating the recruitment and entry into and the discharge from the Scheme and the allocation of registered dock workers in the pool to registered employers;

(c) determining and keeping under review in consultation with the Administrative Body registered dock workers from time to time on the registers or records and the increase or reduction to be made in the numbers in any such register or record ;

(d) keeping, adjusting and maintaining the employers' registers entering or re-entering therein the names of any dock employer and, where circumstances, so require removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme ;

(e) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records, as may be necessary, of registered dock workers including any registers or records of registered dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence, has been approved by the Administrative Body and, where circumstances so require, removing from any register or record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme.

(f) the grouping of all registered dock workers into such groups as may be determined by the Board after consultation with the Administrative Body and thereafter reviewing the grouping of any registered dock worker on the application of the Administrative Body or of the registered dock worker ;

(g) making provisions for the training and welfare of registered dock workers including medical services in so far as such provision does not exist apart from the Scheme ;

(h) levying and recovering from registered employers contributions in respect of the expenses of the Scheme ;

(i) making provisions for health and safety measures in places where registered dock workers are employed in so far as such provision does not exist apart from the Scheme ;

(j) maintaining and administering the Dock Workers Welfare Fund and recovering from all registered employers contribution towards the Dock Workers Welfare Fund ;

(k) maintaining and administering a Provident Fund, Gratuity Fund, a Voluntary Retirement Fund and any other fund or funds created for specific purpose for registered dock workers ;

(l) borrowing or raising money and issuing debentures or other securities and, for the purpose of securing any debt or obligation, mortgaging or charging all or any part of the property of the Board.

(2) The income and property of the Board from whatever source derived shall be applied solely towards the object of the Scheme including, health, safety, training and welfare measures for registered dock workers (including assistance by way of grant of loan or otherwise to co-operative societies formed for the exclusive benefit of dock workers and the staff of the Board and no portion thereof shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend bonus or otherwise by way of benefit to the members of the Board :

Provided that nothing herein shall prevent the payment of reasonable and proper remuneration and expenses to any officer or servant of the

Board in return for any service actually rendered to the Board, nor prevent the payment of interest at a reasonable rate on money lent or reasonable and proper rent for premises demised or let, by any member to the Board nor prevent the incurring of expenditure as welfare measures, if any, for the staff of the Board.

(3) The Board shall cause proper account to be kept of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under the Scheme.

(4) The Board shall submit to the Central Government,—

(i) as soon as may be after the first day of April in every year and not later than the thirty-first day of October, an annual report on the working of the Scheme during the preceding year ending the thirty-first day of March together with an audited balance sheet ; and

(ii) copies of proceedings of the meeting of the Board.

7. Responsibilities and duties of the Board in meeting :—The Board in meeting shall be responsible for dealing with all matters of policy and in particular may—

(a) sanction the temporary registration of a specific number of workers in any category for a specific period;

(b) consider registration of new employers on the recommendation of the Chairman;

(c) prescribe forms, records, registers, statements and the like required to be maintained under the Scheme ;

(d) determine the wages, allowances and other conditions of service, and refix the guaranteed minimum wages in a month after annual review ;

(e) fix the rate of levy under clause 51(1);

(f) fix the rate of contribution to be made by registered employers to the Dock Workers' Welfare Fund;

(g) appoint and abolish or reconstitute committee under Clause 35;

(h) Sanction the annual budget;

(i) appoint the Personnel Officer;

(j) subject to the provisions of clause 5 sanction creation of posts;

(k) make recommendations to the Central Government about changes in Schedule I to this Scheme;

(l) make recommendations to the Central Government about any modifications in the Scheme;

(m) endeavour to settle disputes about which a request for adjudication has been made to the Central Government by the parties concerned and report to the Government the results of such endeavours.

(n) discuss statistics of output of labour and record its observations and directions ;

(o) sanction the opening of accounts in such scheduled Banks as it may direct and the operations of such accounts by such persons as the Board may from time to time direct ; and

(p) sanction and create fund or funds for specific purpose.

8. Annual Estimates :—The Chairman shall, at a special meeting to be held before the end of February, in each year lay before the Board the annual budget as received from the Administrative Body under clause 11(j) for the year commencing on the first day of April then next ensuing in such details and form as the Board may from time to time specify. The Board shall consider the estimate so presented to it and shall within four weeks of its presentation, sanction the same either unaltered or subject to such alterations as it may deem fit.

9. Responsibilities and duties of Chairman :—(1) The Chairman shall have full administrative and executive powers to deal with all matters relating to the day-to-day administration of the Scheme and in particular—

(a) to ensure that the decisions of the Board in regard to the adjustment of the workers' registers are carried out expeditiously ;

(b) to ensure that the sanction for temporary registration of workers are carried out without delay ;

(c) (i) to supervise and control the working of the Administrative Body ;

(ii) to take suitable steps if any irregularities are detected by him or brought to his notice ;

(d) to ensure that the provisions of the Scheme in regard to transfer and promotion of workers are carried out ;

(e) to constitute Medical Boards when required;

(f) to ensure that conditions laid down in the Scheme for the registration of employers are complied with by them ;

(g) to ensure that all forms, registers, returns and documents, stated under the Scheme, are properly maintained ;

(h) to ensure that suitable statistics in regard to the output of labour and the turn-round of ships are compiled and placed before the Board every quarter with appropriate remarks and explanations ;

(i) (i) to sanction the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowance is upto Rupees One thousand six hundred and fifty per month.

(ii) to make appointments to posts the maximum salary of which exclusive of allowances is upto Rupees one thousand six hundred and fifty per month.

(j) to take disciplinary action against workers and employers in accordance with the provisions of the Scheme ;

(k) to allow relaxation in the maximum number of shifts per worker per week or per month, and to report such cases to the Board ;

(l) to declare that there has been a "go-slow" and to take action as authorised under the Scheme ;

(m) to declare a "state of emergency" and to take action as authorised under the Scheme;

(n) to make a report when necessary to the Central Government under rule 5 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Rules, 1962 ;

(o) to sanction the transfer of a monthly worker to the reserve pool at the request of the employer or the worker, as provided for in the Scheme ;

(p) to deal with appeals from workers and employers under clause 46 and 47 ;

(q) to fill any unexpected vacancy in the post of Deputy Chairman for a period of less than one month and report such matter to the Central Government for approval ;

(r) fix the number to be registered under various categories ;

(s) increase or decrease the number of workers in any category on the register from time to time as may be necessary after a periodical review of the register and anticipated requirements with the prior approval of the Central Government ;

(t) consider registration of new employers if found necessary in the event of suspension or removal of an employer on account of disciplinary proceedings; and

(u) to discharge all other duties and responsibilities specifically vested in the Chairman under the Scheme.

(2) The Chairman may, subject to such conditions as he may think fit, delegate in writing to the Deputy Chairman any of the functions under sub-clause (1) excepting those mentioned in items i(i), i(ii), (1), (m), (n), (p), (q), (r), (s), (t) & (u), so however that such delegation shall not divest the Chairman of his powers.

10. Responsibilities and duties of the Deputy Chairman :—The Deputy Chairman shall be a whole-time officer of the Board and shall assist the Chairman in the discharge of his functions and in particular shall—

(a) discharge all functions relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers to the extent permitted under Clause 43 ;

(b) exercise such other functions as are delegated to him in writing by the Chairman ;

(c) function as Chairman of Committee of the Board of which he may be nominated as a member ;

(d) preside over the meetings of the Board in the absence of the Chairman ; and

(e) make appointments to the posts, the maximum salary of which exclusive of allowances is not more than twelve hundred and fifty rupees per mensem.

11. Functions of the Administrative Body :—Without prejudice to the powers and functions of the Board, the Chairman and the Deputy Chairman, the Administrative Body shall be responsible for the administration of the Scheme and shall in particular be responsible for—

(a) keeping, adjusting and maintaining the employers' register, entering or re-entering therein the name of any dock employer and, where circumstance so require, removing from the register the name of any registered employer, either at his own request or in accordance with the provision of the Scheme ;

(b) keeping, adjusting and maintaining from time to time such registers or records as may be necessary, of dock workers, including any registers or records of dock workers who are temporarily not available for dock work and whose absence has been approved by the Administrative Body and where circumstances so require removing from any register or record the name of any registered dock worker either at his own request or in accordance with the provisions of the Scheme ;

(c) the employment and control of registered dock worker available for work when they are not otherwise employed in accordance with the Scheme ;

(d) the grouping or regrouping of registered dock workers in accordance with the instructions received from the Board in such groups as may be determined by the Board ;

(e) the allocation of registered dock workers in the pool who are available for work to registered employers and for this purpose, the Administrative Body shall—

(i) be deemed to act as an agent for the employer ;

(ii) make the fullest possible use of registered dock workers in the pool ;

(iii) keep the record of attendance at call stands or control points of registered dock workers ;

(iv) provide for the maintenance of records of employment and earnings ;

(v) subject to the allotment of work by rotation under clause 29(3), allocate workers in accordance with caluse 19 ;

(vi) make necessary entries in the Attendance Card and Wage slips of workers in the reserve pool as laid down in clause 27 ;

(f) (i) the collection of levy, contribution to the Dock Workers Welfare Fund or any other contribution from the employers as may be specified under the Scheme ;

(ii) the collection of workers contribution to the Provident Fund, Insurance Fund or any other fund which may be constituted under the Scheme ;

(iii) the payment as agent of the registered employer of each daily worker of all earnings properly due to the worker from the employer and the payment to such workers of all monies payable by the Board to those workers in accordance with the provisions of the Scheme ;

(g) appointing, subject to budget provisions, such officers and servants from time to time as may be necessary ;

Provided that the creation of posts the maximum salary of which exclusive of allowances is about rupees 1150. and appointment of persons to such posts shall be subject to clause 6(i) and 9(h)(i).

(h) the keeping of proper accounts of the cost of operating the Scheme and of all receipts and expenses under it, and making and submitting to the Board an annual report and audited balance sheet ;

(i) the framing of the Budget annually, submitting the same to the Board on or before the 15th day of February in each year and getting it approved by the Board ;

(j) maintaining complete service records of all registered dock workers ; and

(k) such other functions as may from time to time, subject to the provisions of the Scheme, be assigned to it by Board, the Chairman or the Deputy Chairman.

12. Labour Officer :—The Administrative Body when it consists of employers of dock workers shall appoint a Labour Officer or Labour Officers with the approval of the Board. The Labour Officer shall, under the supervision and control of the Administrative Body, carry out such functions as may be assigned to him by that Body consistent with the provisions of the Scheme.

13. Functions of the Personnel Officer :—The Personnel Officer shall assist the Deputy Chairman generally in the discharge of his duties and shall in particular carry out the functions vested in him under Clause 43 of the Scheme.

14. Officers appointed by the Central Government for proper working of the Scheme :—(1) Notwithstanding the provisions of Clause 4, 5, 11 and 13, the Central Government may in its discretion appoint, from time to time in consultation with the Chairman of the Board one or more officer and entrust to such officer or officers such functions as it may deem fit for the proper working of the Scheme.

(2) The Officer or Officers appointed under sub-Clause (1) shall be subject to the general supervision and control of the Chairman and be paid from the funds of the Board. Such Officer or Officers shall hold office for such period and on such terms and conditions as the Central Government may determine.

15. Maintenance of Registers etc. (1) Employer's Register :

(a) There shall be a register of employers.

(b) In so far as the application of the Scheme to Clearing and Forwarding Workers is concerned every employer who on the date of commencement of the Scheme is listed under the Bombay

Unregistered Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme 1973 and who holds a Customs House Agents licence issued by the Collector of Customs on the date shall be deemed to have registered under the scheme.

(c) Persons other than those who are deemed to have been registered under item (b) shall not be registered as Clearing and Forwarding employers unless the Board considers it expedient and necessary to do so.

(d) The Board, may, subject to such conditions as it may with the previous approval of the Central Government specify in this behalf, permit persons registered under items (b) and (c), to form one or more groups, and each group so formed shall be treated as one employer only for employment of monthly and daily workers.

Provided that the Board shall have power to make with the previous approval of the Central Government such alterations or modifications in the conditions specified, as it may deem necessary from time to time.

Provided further that the Board may revoke, from such date as it may specify, the permission given to any group of employers if, after giving an opportunity to the group of employers to show cause against the proposal and after considering its reprsentation if any, the Board is satisfied that the group of employers has failed to comply in part, or in full with the conditions specified for the formation of such groups and thereupon the said group shall stand dissolved from such date.

(2) Workers' Registers : There shall be registers of workers as under :—

(i) Monthly Register : Register of workers who are engaged by each registered employer on contract on monthly basis and who are known as monthly workers.

(ii) Pool Register : Register of workers other than those on the monthly register and known as Pool Workers.

16. Classification of workers in Registers : (1) The Board shall arrange for the classification of workers by categories in the registers.

(2) Dock workers registered under the Scheme shall be classified into :—

(a) Muccadams

(b) Clearing and Forwarding Mazdoors.

(3) (a) The Chairman shall have power to deploy surplus workers in a category under any other category, wherein there is shortage of workers, as also under any one of the categories of workers covered by the Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956, or the Bombay Foodgrain Handling Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973, subject to the condition that such deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service.

Note : If the category or scheme in which there is shortage carries lower wage or benefit, transfer will be made on the basis of seniority, junior most persons being transferred and the wages and benefits being enjoyed by them protected as personal to them.

(b) The Chairman shall also have the power with the approval of the Board to deploy any surplus worker in this Scheme to perform the functions of relevant categories of shore workers employed under the Bombay Port Trust in which there is a shortage subject to the condition that deployment will not lead to reduction in the wages or loss of benefit from past service.

17. Fixation of number of workers on the register : (1) (a) The Chairman shall in consultation with the Administrative Body and with the previous approval of the Central Government determine, before the commencement of registration in any category, the number of workers required in that category.

(b) The Chairman shall periodically review the number of workers required in each category and shall take suitable action to adjust the numbers with prior approval of the Central Government.

(2) The Chairman shall in consultation with the Administrative Body and subject to the approval of the Central Government periodically determine the number of workers required in earch category, and arrange to adjust the workers' registers accordingly.

(3) A registered employer or a group of employers may, subject to such conditions as may be specified by the Board in this behalf, increase the number of workers on the monthly registers by selecting workers from the pool.

18. Registration of existing and New Workers : (1) (a) Any dock workers who, on the date of commencement of the Scheme, is already listed under the Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1973, shall be deemed to have been registered under this Scheme.

(b) The qualification for new registration shall be such as may be specified by the Board having regard to the local conditions but the age shall not exceed 40 years. Only Indian Nationals who are physically fit, capable and having experience shall be eligible for registration.

Provided that in the case of ex-service personnel the age limit may be relaxed upto 45 years by the Dock Labour Board.

(2) The Board may from time to time permit the registration of workers temporarily for such period and on such terms and conditions of service as the Board may specify ;

Provided that the workers registered temporarily shall be entitled to attendance allowance under clause 31 and shall have the same obligations as registered dock workers in the pool.

(3) Any fresh recruitment, whether on a temporary or permanent basis in which dock workers have already been registered under the Scheme shall be done from amongst workers registered with the local Employment Exchange.

If, however, there is a surplus in any category of workers employed by the Bombay Port Trust, such surplus workers may be transferred and registered under this Scheme. After the transfer if the requirement exceeds the number of suitable men available on the register of the Employment Exchange on the day of the requisition, direct recruitment may be made only after absorbing suitable men from the Employment Exchange register.

(4) New workers registered under item (b) of sub-clause (1) will be on probation for a period of one year before being placed on a permanent basis on the registers.

(5) Notwithstanding any other provision of the Scheme, where the Board is of opinion that a dock worker has secured his registration by furnishing false information in his application or by withholding any information required therein, or where it appears that a worker has been registered improperly or incorrectly, the Board in meeting may direct the removal of his name from the registers.

Provided that before giving such direction, the Board shall give him an opportunity of showing cause why the proposed direction should not be issued.

(6) The following principles shall apply in respect of registration in other categories which may after the commencement of the Scheme, be included in Schedule I to this Scheme.

(a) There shall be a provisional registration basedoon the anticipated requirements and the mere fact that a worker has been working before in the port shall not automatically entitle him to registration.

(b) After the provisional registration has been completed the booking in rotation shall start without allowing, at that stage any financial benefits other than wages which accrue to registered workers under the Scheme.

(c) A reassessment of the requirement shall be made after six months in the light of the actual employment obtained by workers provisionally registered and the provisional registration shall then be adjusted accordingly. The payment of attendance allowance under clause 31 shall commence only from that time.

(d) The working under these conditions shall be examined after a year of introduction of the rotational booking with a view to fixing the number of days for which the guaranteed minimum wages undtr clause 30 should be paid. From then onwards the workers shall be entitled to all the benefits under the Scheme.

(e) The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed under clause 30 to categories of workers previously registered shall not automatically be claimed by workers of the categories to be registered after the date of enforcement of the Scheme.

Such minimum number of days may vary from category to category as determined under item (d) above.

(f) The wages of the workers in categories which may be registered after the enforcement of the Scheme, shall be such as may be fixed by the Board from time to time.

19. Age of retirement, promotion and transfer of workers.—(i) The age of retirement under the Scheme shall be 58 years.

(2) A vacancy other than a casual vacancy, in the category of monthly workers may be filled only by promotion and transfer of a dock worker of the same category from the pool, who may

be selected by a Registered Employer or a group of employers.

Explanation :—The criteria for promotion shall ordinarily be :

(a) Seniority.

(b) merit and fitness for work in the category to which promotion is to be made, and

(c) record of past services.

NOTE : A transfer from the pool register to the monthly register in the same category or vice-versa shall not be deemed to be a promotion.

(3) The Chairman or the Deputy Chairman may for sufficient and valid reasons allow the transfer of a monthly worker to the pool on a request in writing of the employer or the worker explaining fully the reasons for the transfer provided that such transfer shall be subject to the fulfilment of any contract subsisting between the monthly worker and his employer regarding termination of employment. No transfer shall take place without the prior approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

(4) If a monthly worker is transferred to or employed in the pool under sub-clause (3), his previous services shall be reckoned for all benefits in the pool and the employer shall transfer to the Board all benefits that have accrued to the worker in respect of his previous service as if such service had not been transferred. The employer shall in particular contribute to the Board such amount as may be appropriate towards the worker's leave; Provident Fund or Gratuity that may be due to him on the date of such transfer.

20. Medical Examination.—(1) A new worker before registration shall undergo, free of charge a medical examination for physical fitness by a Medical Officer nominated, by the Chairman for this purpose. A worker found medically unfit by Medical Officer may apply in writing to the Chairman for examination by a Medical Board. The decision of the Medical Board shall be final and a worker who is medically unfit shall not be entitled to registration.

(20) If the Administrative Body deems it necessary a worker shall undergo free of charge, a medical examination by a Medical Board to be constituted by the Chairman. The decision of the Medical Board shall be final. If a worker is found permanently unfit by the Medical Board the Chairman shall terminate his services forthwith.

21. Facilities for training.—The Board shall make such provisions for training of dock workers as it may deem necessary.

22. Registration Fee.—A registration fee of rupees two shall be payable to the Board by each worker at the time of registration under the Scheme.

23. Supply of Cards.—(1) Every registered worker shall be supplied free of cost with an identity card, an Attendance Card and Wage slip in the forms specified by the Board.

(2) In case of loss of a card, a fresh card shall be issued but the cost thereof which will be fixed by the Board, shall be payable by the worker concerned.

24. "Service Record" for registered workers.—A "Service Record" for every monthly and daily worker shall be maintained by the Administrative Body in a form to be specified by the Board which shall contain, among other things, a complete record of disciplinary action taken against the worker, promotions, commendations for good work and other matters.Such details in respect of monthly workers shall be supplied to the Administrative Body by the registered employers

25. "Record Sheets" for registered employers.—The Personnel Officer shall maintain a "Record Sheet" in respect of each registered employer in a form to be specified by the Board which shall contain, among other things a complete record of—disciplinary action taken against the registered employer ;

26. Surrender of Identity Cards.—A worker's identity card shall be surrendered to the Administrative Body in the following circumstances namely :—

(a) when proceeding on leave for three days or more;

(b) when retiring from services;

(c) when dismissed or discharge from service;

(d) when temporarily suspended; or

(e) on death :

Provided that the employer of a monthly worker will also surrender the card of the worker to the Administrative Body in circumstances specified at items (a) to (e).

27. Entries in Attendance Card and Wage slip.—A registered dock worker in the pool shall hand over his attendance card to the registered employer at the time he is allocated work by the Administrative Body. The registered employers shall make necessary entries in the Attendance

Card in respect of the period of work done by the worker and return it to him before the expiry of his engagement. For each day of work, the Administrative Body shall supply as soon as possible a wage slip showing the wages earned by a worker.

28. Employment of workers.—(1) A monthly worker of a particular category attached to a registered employer or a group of employers shall be entitled to be employed for work in that category by that employer or group of employers, in preference to any worker of the same category in the pool.

(2) If the number of workers on the monthly register in a particular category is not sufficient for the work available, the workers on the pool register in that category shall be employed.

(3) A monthly worker of one employer or a group of employees shall not be employed by another employer or group of employers except with the previous approval of the Chairman or the Deputy Chairman.

29. Employment in shifts.—(1) Dock workers shall be employed in shifts.

(2) (a) A dock worker shall not ordinarily be employed in two consecutive shifts on each of the two successive days and in no case shall a dock worker be employed in three consecutive shifts.

(b) A dock worker in the pool or in the monthly register shall not be employed for more than 9 shifts in a week or 33 shifts in a month.

(c) In special circumstances the Chairman may relax temporarily the restrictions under item (b) to the extent necessary.

(3) Workers of each category on the pool register shall be allotted work by rotation.

(4) Where work is carried on by a gang, the allotment of workers by rotation shall be done by gangs.

30. Guaranteed Minimum Wages in a month.—(i) A worker in the pool register shall be paid wages at least for 12 days in a month at the wage rate inclusive of dearness allowance as specified by the Board.

Appropriate to the category to which he permanently belongs, even though no work is found for him for the minimum number of 12 days in a month.

The days on which the work is allotted to the worker shall be counted towards the 12 days mentioned above. The guaranteed minimum wages in a month shall be,—

(a) for the number of days for which the wages are guaranteed in a month subject to the condition that the worker attended for work on all days of the month as directed by the Administrative Body,

or

(b) Proportionate to the number of days on which the worker attended for work provided he was excused from attendance on all the remaining days of the month.

(2) Subject to the provisions of sub-clause (i), the minimum number of days in a month for which wages are guaranteed may be fixed by the Board for each year on the basis of the monthly average employment obtained by the workers in the pool in the lowest categories of Clearing and Forwarding workers during the proceeding year, subject to the maximum of 21 days.

NOTE : The method of assessing the average employment is detailed in Schedule II to this Scheme.

(3) The minimum number of days for which wages shall be guaranteed under sub-clause (1) & (2) shall not automatically apply to workers in new categories that may be registered after the date of enforcement of the Scheme. The minimum number of days for which wages shall be guaranteed to these categories shall be determined under clause 13(6)(e). The annual relaxation of the minimum numbers of days as under sub-clause (2) shall be done independently in their case also.

Explanation :

For the purpose of this clause—

(a) "day" shall mean a day of 24 hours

(b) "month" shall not include the days of weekly off.

31. Attendance Allowance.—Subject to the other provisions of the Scheme, a worker on the pool register who is available for work but for whom no work is found shall be paid attendance allowance at the rate of ½ daily wages per day for the days on which during a calendar month he attended for work as directed by the Administrative Body and no work was found for him :

Provided that no attendance allowance shall be payable for any day for which full wages, inclusive of dearness allowance have been paid under clause 30 or otherwise or under clause 33.

32. Employment for a shift.—No worker in the pool shall be employed for a period of less than a shift and where the work for which a worker has been engaged is completed during the working period of the shift he shall undertake such other work as may be required by the same employer or group of employers for the remainder of the period and if no such other work is made available to him, he shall be paid for the entire shift :

Provided that if he is subject to piece-rate wages or incentive wages under any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board he shall be paid at the rates laid down therein.

33. Payment of wages when work is not made available after engagement.—When a worker in the reserve pool presents himself for work and for any reason the work for which he has attended cannot commence or proceed and no alternative work can be found for him he shall be entitled to daily wage appropriate to the category to which he belongs inclusive of all allowances, provided he continues to be available throughout the remainder of the shift and accepts such alternative employment as may be offered to him by the Administrative Body :

Provided that in the case of a worker who is subject to the piece-rate system of wages the payment, if any, due to him under this clause, shall be reduced by the amount of idle time payment made, if any, in respect of the same period.

34. Holidays.—Each dock worker shall be entitled in a year to such number of holidays with pay and at such rates as may be specified by the Board under clause 40. Any payment made under this clause shall be exclusive of the payment calculated under clause 30.

35. Committees.—The Board may appoint one or more committees to whom it may entrust such of its functions as it may deem necessary to facilitate compliance with the provisions of the Scheme and may abolish or reconstitute them as it may deem necessary. Persons who are not members of the Board may, if necessary be nominated as co-opted members of a committee. Each co-opted members, however, shall not have any right to vote.

36. Obligations of registered dock workers.—(1) Every registered dock worker shall be deemed to have accepted the obligations of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the reserve pool who is available for work shall be deemed to be in the employment of the Board.

(3) A registered dock worker in the pool who is available for work shall not engage himself for employment under any employer unless he is allocated to that employer by the Administrative Body.

(4) A registered dock worker in the pool for whom work is available shall carry out the direction of the Administrative Body and shall :—

(a) report at such call stands or control points and at such times as may be specified by the Administrative Body and shall remain at such call stands or control points throughout the period of the shift, if instructed by the Administrative Body to that effect, on payment of such retention allowance as may be specified by the Board.

(b) accept any employment in connection with dock work, whether in the category in which he has been registered or in any other category registered in other scheme administered by the Board for which he is considered suitable temporarily or permanently.

(5) A registered dock worker who is available for work when allocated by the Administrative Body for employment under a registered employer shall carry out his duties in accordance with the directions of such registered employer or his authorised representatives or supervisor and the rules of the port or place where he is woking

37. Obligations for registered employers.—(1) every registered employer shall accept the obligations of the Scheme.

(2) Subject to the provisions of clause 28, a registered employer shall not employ a worker other than a dock worker who has been allocated to him by the Admn. Body in accordance with the provisions of clause 11(e).

(3) A registered employer shall in accordance with arrangements made by the Admn. Body submit all available information of his current and further labour requirements.

(4) A registered employer shall lodge with the Administrative Body, unless otherwise directed, particulars of work done by dock workers on time-rate or piece-rate and such other statistical data as may be required in respect of the dock workers engaged by him.

(5) (i) A registered employer shall pay to the Administrative Body in such manner and at such time as the Board may direct the levy payable under clause 51(1) and the gross wages due to daily workers.

(ii) A registered employer shall make payments as contributions to the Dock Workers Welfare Fund.

(6) A registered employer shall keep such records as the Board may require, and shall produce to the Board or to such persons as may be designated by the Board upon reasonable notice all such records and any other documents of any kind relating to registered dock workers and to the work upon which they have been employed and furnish such information relating thereto as may be sent out in any notice or direction issued by or on behalf of the Board.

38. Restriction on employment.—(1) No person other than a registered employer shall employ

any worker on dock work to which this scheme applies nor shall a registered employer engage, for employment or employ a worker on dock work to which this scheme applies unless that worker is a registered dock worker.

(2) Notwithstanding the foregoing provisions of this clause.

(a) Where the Administrative Body is satisfied that :—

(i) dock work is emergently required to be done; and

(ii) it is not reasonably practicable to obtain a registered dock worker for that work.

the Administrative Body may subject to any limitations imposed by the Board, allocate to a registered employer a person who is not registered dock worker. In selecting such workers the local Employment Exchange shall as far as possible be consulted.

Provided that, whenever unregistered workers have to be employed, the Administrative Body shall obtain, if possible the prior approval of the Chairman to the employment of such worker, and where this is not possible, shall report, to the Chairman within 24 hours the full circumstances under which such workers were employed and the Chairman shall duly inform the Board of such employment at the next meeting.

(b) The Board, may subject to such conditions as it may specify, permit employment of unregistered workers on a holiday, if dock work is required to be done on that day to the extent registered workers are not available for work ;

(c) in the case referred to in items (a) and (b), the person so employed as aforesaid by a registered employer shall for the purposes of clause 37 (4), (5) and (6) and clause 40 be treated in respect of that dock work as if he was a daily worker.

(3) A registered dock worker in the pool may, provided he fulfils fully his obligations under clause 36 take up occasional employment under employers other than these registered under the Scheme on those days on which he is not allocated for work by the Administrative Body.

39. Circumstances in which the Scheme ceases to apply.—(1) The Scheme shall cease to apply to a registered dock worker when his name has been removed from the register or record in accordance with the provisions of the Scheme;

(2) The Scheme shall cease to apply to a registered employer, when his name has been removed from the employer's register in accordance with the provisions of the Scheme.

(3) Nothing in this clause shall affect any obligation incurred or right accrued during any time when the person was a registered dock worker or a registered employer.

40. Wages, Allowances & other conditions of services of worker.—Without prejudice to the provisions or any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers it shall be, unless otherwise specifically provided for in the Scheme, an implied condition of the contract between a registered dock worker (whether in the pool or on the monthly register) and registered employer that :—

(a) the rates of wages, allowances and overtime hours of work, rest intervals, holidays, and pay in respect thereof and other conditions of service shall be such as may be specified by the Board for each category of workers; and

(b) the fixation of wage period, time for payment of wages and deductions from wages shall be in accordance with the provisions of the Payment of Wages Act, 1936 (4 of 1936).

41. Pay in respect of unemployment or under employment and payment of arrears of Dearness Allowance Wages and other allowances —(1) Subject to the conditions set out in this clause and clause 42 when, in any wage period, a registered dock worker in the pool is available for work but is not given employment or full employment, he shall be entitled to receive from the Board such amounts as may be admissible to him under clause 30, 31 and 33.

(2) The conditions subject to which a registered dock worker is entitled to the said payment, if any, from the Board are that :—

(a) he attended as directed at the call stands or control points; and

(b) his attendance was recorded.

(3) In case of any revision of dearness allowance or grant of revised wages or other allowances, with retrospective effect, in pursuance of any agreement entered into between the registered employers and registered dock workers or any decision of the Board or recommendation of the Board or body set up or of any order made by the Central Government, the Board may, out of its fund pay the registered workers up to the date of the agreement or, as the case may be of the recommendation or order, if the Board so decides.

42. Disentitlement to payment.—(1) a registered dock worker who while in the pool fails without adequate cause to comply with the provisions of clause 36 (a) or (b) or fails to comply

with any lawful order given to him by or on behalf of the Board may be proceeded in accordance with sub-clause (3).

(2) a registered dock worker in the pool, who while in employment to which he has been allocated by the Administrative Body, fails without any adequate cause to comply with the provisions of Clause 36(5) or fails to comply with any lawful orders given to him by his employer, may have his engagement terminated and may be returned to the reserve pool and whether or not he is so returned may be reported in writing to the Labour Officer. When a registered dock worker is so returned to the reserve pool, the Administrative Body shall endorse his Attendance Card accordingly.

(3) The Labour Officer shall consider any matter arising under sub-clause (1) or (2) and if, after investigating the matter, he notifies the registered dock worker that he is satisfied that the registered dock worker has failed to comply with a lawful order as aforesaid, the registered dock worker shall not be entitled to any payment, or to such part of any payment under clause 41 as the Labour Officer thinks fit in respect of the wage period in which such failure occurred or continued.

43 Disciplinary Procedure.—(1) (i) The Personnel Officer on receipt of the information whether on a complaint or otherwise that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme may after investigating the matter give him a warning in writing, or.

(ii) Where in his opinion, a higher penalty is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman who may then cause such further investigation to be made as he may deem fit and take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) censure him and record the censure in his record sheet; or

(b) subject to the approval of the Chairman and after one month's notice in writing given to the registered employer, inform the Administrative Body that the name of the employer shall be removed from the employers' register for such period as determined by the chairman or permanently in case of a grave offence or lapse in discharge of his obligations.

(2) A registered dock worker in the reserve pool, who fails to comply with any of the provisions of the scheme, or commits any act of indiscipline or misconduct may be reported in writing to the Labour Officer who may after investigating the matter take any of the following steps as regards that worker, that is to say, he may—

(a) determine that, for such period as he thinks proper, that worker shall not be entitled to, any payment or part payment under clause 41.

(b) Suspend him without pay for a period not exceeding three days.

(3) (a) where in a case reported to the Labour Officer under sub-clause (2) he is of the opinion that the Act of indiscipline or misconduct is so serious that the dock worker should not be allowed to work any longer, the Labour Officer may, pending investigation of the matter, suspend the worker and report immediately to the Deputy Chairman who after preliminary investigation of the matter shall pass orders thereon whether the worker, pending final orders should remain suspended or not;

(b) Where a dock worker has been suspended by an order under item (a), he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three fourths of such basic wages, dearness and other allowances.

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(c) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(d) Where a registered dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments as the Administrative Body, certifies that the worker would have received on the time rate basis or under class 31 had he not been suspended, provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance payable or already paid during a particular period.

(4) Where, in the opinion of the Labour Officer a higher punishment than that provided in sub-clauses (2) and (3) is merited, he shall report the case to the Deputy Chairman.

(5) On receipt of the written report from the Labour Officer under sub-clause (4) or from the employers or any other person that a registered dock worker in the pool has failed to comply with any of the provisions of the Scheme or has committed an act of indiscipline or misconduct or has consistently failed to produce the standard or datum output or has been inefficient in any other manner, the Deputy Chairman may make or

cause to be made such further investigation as he may deem fit, and thereafter take any of the following steps, as regards, the worker concerned, that is to say, he may impose any of the following penalties.

(a) determine that for such period as he thinks proper, the worker shall not be entitled to any payment or part payment under Clause 41.

(b) give him a warning in writing;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months.

(d) effect reduction in his pay or revert him to lower category by an extent as may be considered fit;

(e) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(f) dismiss him.

(6) Before any action is taken under this clause the person concerned shall be given an opportunity to show-cause why the proposed action should not be taken against him, and such person may, if he so desires, adduce evidence in respect of such action.

(7) The Administrative Body shall be informed simultaneously about the action taken under this clause.

(8) Notwithstanding anything contained in this clause and in clause 42, the powers vested in the authority specified in column (1) of the Table below under the provisions specified in column (2) of the said Table, shall also be exercisable by the authority specified in the corresponding entry in column (3) of the said table in such cases as the last named authority may specify in writing in this behalf.

TABLE

Authority empowered to take action.	Provisions of the Scheme	Authority empowered to take action in specified cases
(1) Labour officer	Clause 42 & 43	Administrative Body.
(2) Personnel Offifficer	Clause 43	Deputy Chairman or Chairman.
(3) Dy. Chairman	Clause 43	Chairman

(9) Without prejudice to the powers of the Chairman under clauses 44 and 50, a registered employer shall have full powers to take disciplinary action against monthly workers employed under him.

1153 GI/82—5

44. Special Disciplinary powers of Chairman.—(1) Notwithstanding anything contained in the Scheme, if the Chairman is satisfied that a 'go-slow' has been resorted to by any gang of registered dock workers or by any such individual worker and is being continued or repeated by the same gang of workers, he may make a declaration in writing to that effect.

(2) When a declaration under sub-clause (1) has been made, it shall be lawful for the Chairman—

(i) in the case of monthly workers, to take, without prejudice to the rights of the registered employers, such disciplinary action including dismissal, against such workers, as he may consider appropriate, and

(ii) in the case of registered dock workers in the pool to take such disciplinary action including dismissal against such workers as he may consider appropriate and also to other forfeiture of their guaranteed minimum wages and attendance allowance for the wage period or period in which the 'go-slow' has been resorted to.

(3) The Chairman may take disciplinary action—

(i) Where the 'go-slow' is resorted to by a worker, against the worker concerned.

(ii) Where the 'go-slow' is resorted to by a gang, against all the members of the gang;

(4) Before any disciplinary action is taken under this clause against any dock workers or gang of dock workers such workers or gang shall be given an opportunity to show-cause why the proposed action should not be taken against him or it;

Provided that the Chairman may, before, giving an opportunity to show cause under this sub-clause suspend from work any worker or gang of workers immediately after a declaration has been made under sub-clause (1).

(5) (a) Where a worker has been suspended pending enuiry he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one-half of the basic wages, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he was on leave with wages and thereafter three fourths of such basic wages, dearness and other allowances.

Provided that where such enquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence allowance shall,

for the period exceeding ninety days, be reduced to one-fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) The subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever;

(c) Where a dock worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 31 had he not been suspended, provided that the amounts so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(6) Any registered dock worker who is aggrieved by an order of the Chairman under sub-clause (2) may, within 30 days of the date of the receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

45. Termination of employment.—(1) The employment of a registered dock worker in the pool shall not be terminated except in accordance with the provisions of the Scheme.

(2) A registered dock worker in the pool shall not leave his employment with the Board except by giving fourteen days notice in writing to the Board or forfeiting fourteen days wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof.

(3) When the employment of a registered dock worker with the Board has been terminated under sub-clause (1) or (2) his name shall forthwith be removed from the register or record by the Administrative Body.

46. Appeal by Workers.—(1) Save as otherwise provided in this clause a worker in the pool who is aggrieved by an order passed by an authority specified in column (1) of the table below under provisions specified in column (2) of the said table may prefer an appeal against such order to the authority specified in column (3) of the said Table.

TABLE

Autority passing orders	Provisions of the Scheme	Appellate Authority
1	2	3
Labour Officer or Administrative Body	Clause 42 &43	Deputy Chairman
Deputy Chairman	Clause 43	Chairman
Chairman	Clause 43	Central Government

(2) A worker who is aggrieved by an order---

(i) Placing him in a particular group in the register or record; or

(ii) refusing registration under clause 18; or

(iii) requiring him under clause 36(4) (b) to undertake any work which is not in the same category to which he belongs; may prefer an appeal to Chairman.

(3) No appeal shall lie where due notice has been given of the removal of the name of registered dock worker from the register or record in accordance with the instructions of the Board, if the ground of removal is that the registered dock worker falls within a class of description of dock workers whose names are to be removed from the register or record in order to reduce the size thereof;

(4) Every appeal referred to in Sub-clause (1), (2) & (3) shall be in writing and preferred within 14 days of receipt of the order appealed against;

Provided that the appellate authority may for reasons to be recorded admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) The appellate authority may after giving an opportunity to the appellant to be heard, if he so desires; and reasons to be recorded in writing, pass such order as it thinks fit.

(6) Every order passed under Sub-clause (5) shall be communicated to the appellant.

(7) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the registered trade union of which he is a member or by a registered dock worker.

47. Appeals by employers.—(1) (a) A registered employer who is aggrieved by an order of the Personnel Officer under clause 43(1)(i) may appeal to the Deputy Chairman who shall decide the same.

(b) If a registered employer is aggrieved by an original order of the Deputy Chairman under clause 43(1)(ii), he may appeal to the Chairman, who shall decide the same. In the case of an appeal against an order under clause 43(1)(ii) (b) the chairman shall forthwith refer the matter to the Central Government. The Central Government shall make such an order on the appeal as it thinks fit.

(2) An employer who has been refused registration under clause 13(1)(i)(c) may appeal to the Central Government through the Chairman. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(3) If a registered employer is aggrieved by an original order of the Chairman against him under clause 43, he may prefer an appeal to the Central Government. The Central Government shall make such order on the appeal as it thinks fit.

(4) Every appeal referred to in sub-clauses (1), (2) and (3) shall be in writing and preferred

wihin 14 days of the receipt of the order appealed against :

Provided that the appellate authority may, for reasons to be recorded, admit an appeal preferred after the expiry of 14 days.

(5) An appellant shall not be entitled to be represented by a legal practitioner before the appellate authority but he shall be entitled to be represented by a representative of the association of registered employers of which he is a member or by a registered employer.

48. Power of revision of the Chairman and Deputy Chairman.—Notwithstanding anything contained in the Scheme, the Chairman, in the case of an order passed by the Deputy Chairman under clause 43, or the Deputy Chairman in the case of an order passed by the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, under the said clause, may, at any time call for the record of any proceeding in which the Deputy Chairman or the Personnel Officer or the Labour Officer, as the case may be, had passed the order, for the purpose of satisfying himself as to the legality or properity thereof and may pass such order in relation thereto as he may think fit.

49. Stay of order in case of certain appeals.—Where an appeal is lodged by a dock worker in accordance with the provisions of clause 46 against an order of termination of service on 14 days notice or where an appeal is lodged by an employer in accordance with the provisions of clause 47 against an order removing his name from the employer's register under clause 43(1)(ii)(b), the appellate authority may suspend the operation of the order appealed from pending the hearing and disposal of the appeal.

50. Special provisions for action in an emergency.—(1) If at any time the Chairman is satisfied that an emergency has arisen which will seriously affect the working of the port, he may, by order in writing and for such period as he may from time to time specify therein make a declaration to that effect :

Provided that no such declaration shall be made except with the previous approval of the Central Government.

(2) So long as an order under sub-clause (1) is in force, the following provisions shall apply, namely :

(i) if any allegation is made that a registered employer has failed to carry out the provisions of the Scheme, the Chairman may, after holding a summary inquiry into the allegation, take any of the following steps as regards that employer, that is to say, he may—

(a) give the registered employer a warning in writing; or

(b) direct that the name of the registered employer shall be removed forthwith from the employers' register either permanently or for such period as he may determine :

Provided that no such removal under this sub-item shall be made except after giving the employer a reasonable opportunity of being heard.

(ii) if any allegation of indiscipline "go-slow" or misconduct is made against a registered dock worker, the Chairman may suspend him forthwith pending inquiry, hold a summary inquiry into the allegation and take any one or more of the following steps against that worker, that is to say, he may—

(a) determine that for such period as he thinks proper that worker shall not be entitled to any payment under clause 18;

(b) give him a warning in writing ;

(c) suspend him without pay for a period not exceeding three months ;

(d) terminate his services after giving 14 days' notice or 14 days' wages inclusive of dearness allowance in lieu thereof; or

(e) dismiss him :

Provided that no such termination under sub-item (d) or dismissal under sub-item (e) shall be made except after giving the worker a reasonable opportunity of being heard.

(iii) (a) Where a worker has been suspended pending enquiry he shall be paid for the first ninety days from the date of suspension, a subsistence allowance equivalent to one half of the basic wage, dearness and other allowances to which he would have been entitled if he were on leave with wages, and thereafter the Chairman may, and in exceptional cases, grant higher subsistence allowance not exceeding three fourths of such basic wages, dearness and other allowances :

Provided that where such inquiry is prolonged beyond a period of ninety days for reasons directly attributable to the worker, the subsistence al-

lowance shall, for the period exceeding ninety days, be reduced to one fourth of the basic wages, dearness and other allowances.

(b) the subsistence allowance so paid shall not be recoverable or liable to forfeiture in any case whatsoever ;

(c) where a deck worker is found not guilty, he shall be entitled to such payments in respect of the period of his suspension as the Administrative Body may certify that the worker would have received on the time rate basis or under clause 31 had he not been suspended, provided that the amount so payable shall be reduced by the amount of subsistence allowance already paid during that period.

(3) The provisions of the Scheme relating to disciplinary action against registered employers and registered dock workers shall not apply to any order passed by the Chairman under Sub-Clause (2).

(4) Any registered dock worker or registered employer who is aggrieved by an order passed by the Chairman under sub-clause (2) may within 30 days of the date of receipt of the order, prefer an appeal to the Central Government.

(5) Notwithstanding anything contained in the Scheme, so long as an order under sub-Clause(1) is in force, the Chairman, any authorise the employment of the unregistered workers directly by registered employers and payment to such unregistered workers, directly.

51. Cost of operating the Scheme.—(1) The cost of operating the scheme shall be defrayed by payments made by registered employers to the Board. Every registered employer shall pay to the Board such amount by way of levy in respect of pool workers together, with and at the same time as payment of gross wages due from him under clause 37(5)(i) as the Board may, from time to time, specify by a written notice to registered employers and the amount payable by way of such levy shall not be less than such amount as the Board may fix as the minimum payable by every registered employer. If considered necessary, the Board may require any registered employer to pay such amount by way of levy in respect of monthly workers at such rate as it may determine.

(2) In determining what payments are to be made by registered employers under sub-clause (1), the Board may fix different rates of levy for different categories of work or workers, provided that the levy shall be so fixed that the same rate of levy will apply to all docks employers who are in like circumstances.

(3) The Board shall not sanction any levy exceeding hundred per cent of the estimated total wage bill calculated on basis of the daily wage rate without the prior approval of the Central Government.

(4) A registered employer shall on demand make a payment to the Board by way of deposit, or provide such other security for the due payment of the amount referred to in sub-clause (1) as the Board may consider necessary.

(5) The Administrative Body shall furnish from time to time to the Board such statistics and other information as may reasonably be required in connection with the operation and financing of the Scheme.

(6) If a registered employer fails to make the payment due from him under sub-clause (1) or any other amount due and payable to the Board in any other capacity or account within the time specified by the Administrative Body, the Administrative Body shall serve a notice on the employer to the effect that, unless he pays his dues within three days from the date of receipt of the notice, the supply of registered dock workers to him shall be suspended, on the expiry of the notice period the Administrative Body shall suspend the supply of registered dock workers to the defaulting employer until he pays his dues.

52. Provident Fund and Gratuity.— (1)Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between registered employers and registered workers the Board in respect of workers, in the reserve pool and the registered employer, in respect of their monthly workers, shall frame and operate rules providing for contributory provident fund. The rules shall provide for the rate of contribution from the workers and the employers, the manner and method of payment and such other matters as may be considered necessary. Provided that the rules applicable to monthly workers shall not be less favourable than those relating to workers in the pool.

(2) Without prejudice to the provisions of any agreement entered into between the registered employers and registered workers the Board shall frame rules for payment of gratuity to listed workers.

53. Dock Clearing and Forwarding Workers Welfare Fund.—Cost of amenities, welfare and health measures and recreation facilities for registered dock workers shall be met from a separate fund called the Dock Clearing & Forwarding Workers' Welfare Fund which shall be maintained by the Board. Contribution to this Fund shall be made by the registered employers at such rate as may be determined by the Board. The

Board shall frame rules for contribution to, maintenance and operation of the Fund.

54. Penalties.—A contravention of clause 38 shall be punished with imprisonment for a period not exceeding three months in respect of a first contravention or six months in respect of any subsequent contravention or with fine not exceeding five hundred rupees in respect of a first contravention or one thousand rupees in respect of any subsequent contravention or with both imprisonment and fine as aforesaid.

55. Repeal and savings.—The Bombay Unregistered Dock Clearing and Forwarding Workers (Regulation of Employment) Scheme 1973 is hereby repealed:

Provided that any order made, right accrued, penalty incurred or anything done or any action taken under the said Scheme shall so far as may be, deemed to have been made, accrued, incurred or done or taken under this Scheme and any reference in any instrument to any provision of the said Scheme shall be deemed to be referred to the corresponding provisions of the Scheme.

SCHEDULE I

Classes or descriptions of dock work and dock workers to which the Scheme applies.

(1) Dock work Handling of.
Import and Export goods for clearing in Bombay Docks.

(2) Dock Workers:

(A) Muccadams

(B) Clearing & Forwarding Mazdoors.

SCHEDULE II

The minimum number of days in a month for which wages are guaranteed should be assessed on the basis of average employment during the proceeding 12 months according to the following procedure:

(a) Supposing an assessment is being made in the month of October, 1979, the total number of workers in the pool (including leave reserve workers but excluding muccadams) as on the 1st October, 1978 and the 31st October, 1978 should be ascertained.

The average strength on the register, of these categories should be ascertained by adding the two figures and dividing by 2.

(b) The total number of manshifts worked by gang workers of the categories referred to in item (a) during the month should be ascertained, from the daily employment statistics.

(c) The total number of mandays of authorised or unauthorised leave taken by the above workers should be ascertained. This figure should be divided by the number of working days in the month to ascertain the average number of workers away on leave.

(d) The figures ascertained as in item (c) should be deducted from the average obtained as in item (a) to arrive at the effective strength of workers available during the month.

(e) The figures of manshifts ascertained under item (b) should be divided by the effective strength ascertained as in item (d). The figure arrived will be in the average number of days of employment during the month of October 1978.

(f) The above process should be repeated for the remaining 11 months from November, 1978 to September, 1979.

(g) The average employment figures for the 12 months should be added and divided by 12.

(h) The figures arrived at in item (g) above should be fixed as the minimum number of days for which wages will be guaranteed for the following 12 months ending the 30th September, 1980.

The following example will illustrate :

Suppose the total number of clearing gang workers (excluding Muccadams)		2000
n the pool as on the 1st October, 1978 and as on the 31st October, 1978		1950
		3950
Average strength on the register for the month	3950 / 2	1975
Total number of manshifts worked by the workers of the above categories in October, 1978	36000	
Total number of mandays of authorised or unauthorised leave taken by the workers.	5250	
Number of working days in the said month (31 days of the month less one non working day)	30	
Average number of workers away on leave	5250 / 30	=175
Effective strength available during the month—1975—175=		1800
Average employment for the month of October, 1978	36000 / 1800	=20 days

The same procedure will be followed to arrive at the average employment for the remaining 11 months.

Let us assume the figures are as follows :

October	1978	20
November	1978	21
December	1978	18
January	1979	20
February	1979	18
March	1979	19
April	1979	20
May	1979	19
June	1979	18
July	1979	19
August	1979	20
September	1979	16
		228

The number of days for which wages will be guaranteed for the next 12 months ending 30th September, 1980 will be $\frac{228}{12} = 19$ days

[F. No. LDB|10|81-L.IV]

V. SANKARALINGAM, Deputy Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983